कैसे समझें सरकार का बजट !

How to Understand the Government Budget !

बजट विश्लेषण गाइड

A Guide to Budget Analysis

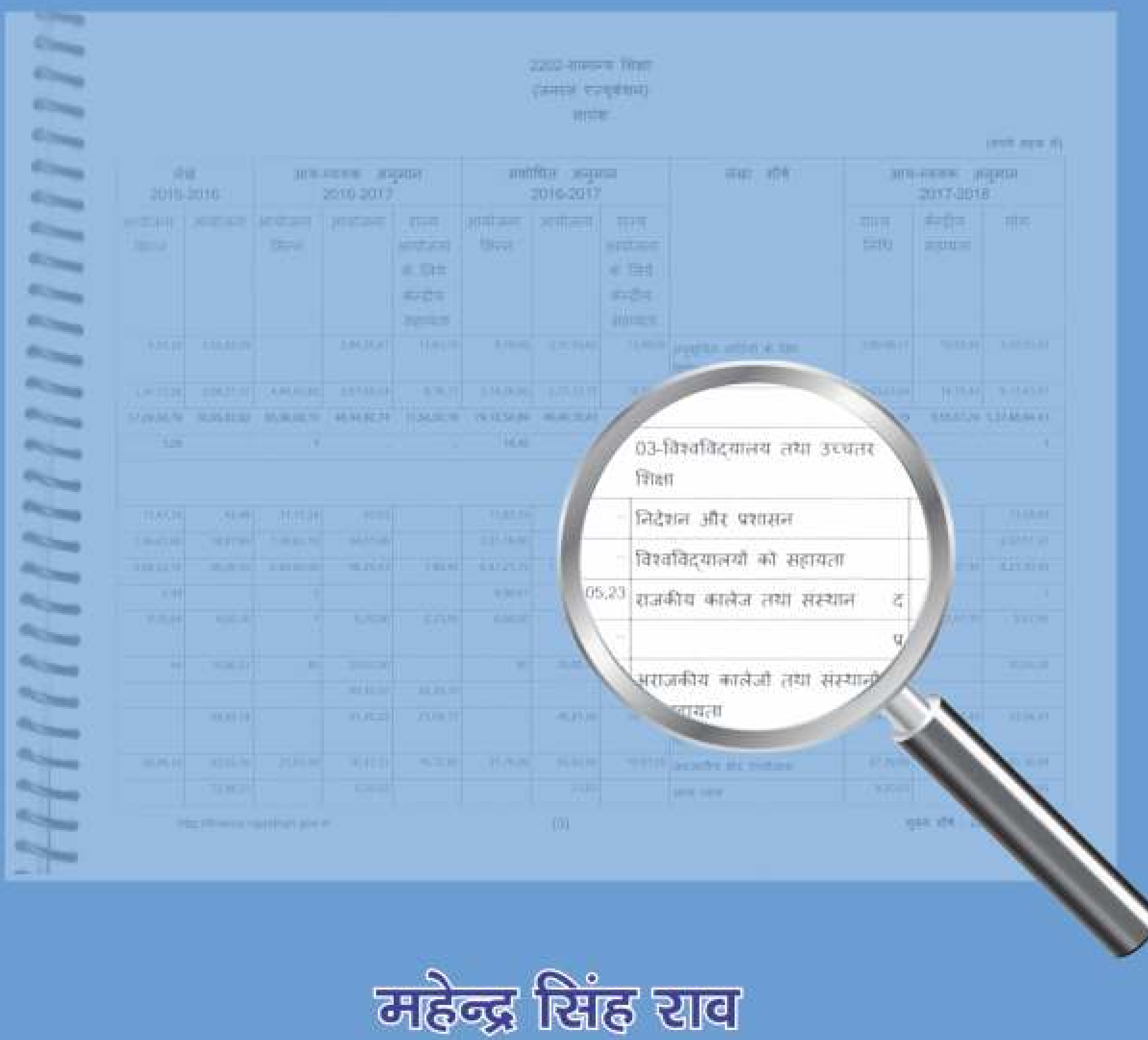

महेन्द्र सिंह राव

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर

कैसे समझें सरकार का बजट !

How to Understand the Government Budget

बजट विश्लेषण गाइड

A Guide to Budget Analysis

महेन्द्र सिंह राव

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)

फोन/फैक्स : (0141) 238 5254

ईमेल : info@barcjaipur.org • वेबसाईट : www.barcjaipur.org

कैसे समझें सरकार का बजट !

अध्ययन एवं शोध : महेन्द्र सिंह राव

जून, 2017

अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण उद्देश्य हेतु
इस पुस्तिका का उपयोग संदर्भ के साथ किया जा सकता है।

© बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

प्रकाशक : बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
मुद्रक : रूचिका क्रिएशन
चौड़ा रास्ता, जयपुर फोन # 0141-4043430, 9799321626

अनुक्रम

अनुक्रम iii

चित्र सूची iv

सारणी सूची v

बॉक्स सूची v

प्रस्तावना vi

1. **आमुख** 1

2. **क्या है बजट एवं इसका इतिहास** 3
   - बजट की शुरुआत कैसे हुई
   - क्या कहता है भारतीय संविधान बजट के बारे में

3. **कैसे बनाया जाता है राज्य बजट एवं कैसे होता है विधानसभा में इसका प्रस्तुतीकरण।** 5
   - बजट जनता तक कैस पहुंचता है
   - सरकार द्वारा बजट पर निगरानी कैसे रखी जाती है

4. **कैसा होता है राजस्थान का राज्य बजट** 10
   - बजट पुस्तिकाएं एवं दस्तावेज
   - बजट में उपयोग किये जाने वाले कोड
   - बजट कोड को कैसे समझें
   - बजट पुस्तकों से वांछित जानकारी कैसे निकालें
   - बजट से जुड़े शब्द एवं उनकी परिभाषा
   - राज्य अर्थव्यवस्था में घाटे एवं उनकी परिभाषा
   - क्या है बजट पारदर्शिता

5. **कैसे करें बजट का अध्ययन** 30
   - क्या है बजट अध्ययन एवं विश्लेषण
   - क्यों किया जाता है बजट का अध्ययन एवं विश्लेषण
   - कैसे किया जाता है बजट का विश्लेषण
   - उदाहरण सहित बजट विश्लेषण

6. **पिछड़े एवं वंचित समूहों हेतु बजट** 35
   - बजट के द्वारा पिछड़े वर्गों तक पहुंचने का प्रयास
   - दलित एवं आदिवासी बजट
   - अल्पसंख्यकों हेतु बजट
   - विशेष योग्यजन हेतु बजट
   - जेंडर बजट
   - विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं हेतु बजट

संदर्भ सूची 39

चित्र सूची

चित्र संख्या	विषय–वस्तु	पेज नं.
1	प्राचीन समय में धन रखने का चमड़े का थैला	3
2	आधुनिक बजट दस्तावेज की जानकारी	3
3	बजट आंकड़ों की प्रक्रिया का विवरण	4
4	बजट में वर्षवार आंकड़ों की जानकारी	4
5	बजट चक्र का विवरण	5
6	सरकार द्वारा बजट बनाने की प्रक्रिया	6
7	बजट पुस्तिकाओं की जानकारी	10
8	बजट पुस्तकों में बजट कोड	13
9	सरकारी सेवाओं /क्षेत्रों का विभाजन	13
10	सरकार के आय एवं व्यय मदों की कोडिंग	14
11	बजट की संरचना की जानकारी	16
12	सरकार की आय का विवरण	18
13	सरकार के व्यय का विवरण	21
14	बजट में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय	23
15	राजस्व घाटा	24
16	पूंजीगत घाटा	25
17	बजट घाटा	25
18	राजकोषीय घाटा	25
19	बजट पुस्तिका में कोड़िग	34

सारणी सूची

सारणी संख्या	विषय–वस्तु	पेज नं.
1	शीर्षवार कोड का विवरण	14
2	शीर्षवार बजट का विवरण	15
3	जेंडर बजट में सरकारी कार्यक्रमों को दी गई श्रेणीयां	38

बॉक्स सूची

बॉक्स संख्या	विषय–वस्तु	पेज नं.
1	बजट एवं विधायिका	8
2	बजट फाईनेलाईजेशन कमेटी	9
3	बजट संबंधी सारगर्भित विवरण	12
4	अंतरिम एवं परिवर्तित बजट	16
5	जीएसटी में शामिल किये जाने वाले केन्द्रीय एवं राज्य कर	19
6	व्यय के अनुसार बजट का विभाजन	22
7	2017–18 से बजट के आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण की समाप्ति	23
8	पारदर्शिता के लिये क्या जानकारी दे सकती है सरकार	29
9	2017–18 से बजट के आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण की समाप्तिः उपयोजनाओं हेतु आवंटन का आधार समाप्त	36

प्रस्तावना

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क) वर्ष 2002 से राजस्थान में राज्य बजट एवं सामाजिक–आर्थिक नीतियों का अध्ययन एवं विश्लेषण कर रहा है। इसके अलावा यह सरकारी योजनाओं के क्रियांवयन एवं बजट उपयोग की निगरानी, चुने हुये जन प्रतिनिधियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं को राज्य सरकार एवं पंचायतीराज संस्थाओं के बजट पर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण संबंधी कार्य भी करता है।

सरकार द्वारा जारी की जाने वाली बजट पुस्तकों एवं दस्तावेजों की भाषा काफी जटिल होती है जिन्हें आम आदमी के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। चुंकि सरकार का बजट जनता से जुड़ा हुआ विषय है एवं यह देश/राज्य की जनता के विकास एवं कल्याण के लिए बनाया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हरेक व्यक्ति को सरकारों द्वारा बनाए जाने वाले बजट, इसकी प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन की जानकारी हो।

इसी उद्देश्य से बार्क द्वारा आमजन, जनप्रतिनिधी एवं विभिन्न आर्थिक–सामाजिक सरोकारों पर कार्य करने वाली संस्थाओं को बजट के बारे में जानकारी एवं जागरुकता लाने हेतु किये जाने वाले प्रयासों की इसी कड़ी में यह पुस्तिका "कैसे समझें सरकार का बजट!" तैयार की गयी है। इस पुस्तक में बजट के बारे में प्रारम्भिक जानकारी जैसे बजट की परिभाषा, बजट शब्दावली, सरकार द्वारा बजट बनाने की प्रक्रिया, बजट पुस्तकें एवं अन्य दस्तावेज तथा बजट में कोडिगं प्रणाली आदि को सरल एवं संक्षिप्त रुप में बताया गया है। इसके अलावा इसमें बजट के अध्ययन एवं विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए उदाहरणों सहित बताया गया है कि बजट का विश्लेषण करना क्यों जरुरी है एवं यह किस प्रकार किया जा सकता है।

इस पुस्तिका के अलावा बजट संबंधी शब्दावली एवं विस्तृत जानकारी तथा समझ हेतु बार्क द्वारा पूर्व में प्रकाशित "बजट शब्दावली", "बजट अध्ययन : एक परिचय" एवं "राजस्थानः वर्तमान वित्तीय स्थिति" का उपयोग भी करना चाहिये।

आशा करते हैं कि बार्क द्वारा प्रस्तुत पुस्तिका के माध्यम से राज्य के आमलोगों, जनप्रतिनिधीयों एवं विभिन्न आर्थिक–सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने वाली संस्थाओं/संगठनों को बजट के बारे में मूलभूत जानकारी अवश्य प्राप्त हो सकेगी एवं राज्य बजट के अध्ययन एवं विश्लेषण को समझना आसान होगा।

नेसार अहमद

1. आमुख

सामान्य अर्थ में बजट का मतलब किसी व्यक्ति, घर, संस्था या सरकार का किसी निश्चित समय अवधि के लिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्राप्तियों (आय) एवं खर्चों (व्यय) का ब्यौरा होता है। यह जरुरी नहीं कि कोई व्यक्ति, घर या संस्था अपने बजट को लिखित रुप में बनाये एवं इसको सभी को साझा या उपलब्ध करवाये। लेकिन सरकारों के लिये यह कानूनन जरुरी है कि वे हर वित्तीय साल के अपने राज्य/देश की आय एवं व्यय का ब्यौरा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, तैयार करे। इसे सरकारें हर साल संसद (केन्द्रीय बजट) और विधानसभाओं (राज्य बजट) में प्रस्तुत करती हैं। सरकार का वित्तीय साल 1 अप्रैल से शुरू हो कर अगले वर्ष 31 मार्च को ख़त्म होता है। हर सरकार चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की, शहर की हो या गाँव की, अपना बजट बनाकर जरुर पेश करती है। सरकारें बजट के माध्यम से राज्य/देश में समाज के विकास एवं कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार कर पूरे साल उन पर प्रस्तावित बजट के अनुसार उनको क्रियांवित करती हैं।

बजट बनाने एवं इसके क्रियांवयन का मुख्य उद्देश्य राज्य/देश में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर समाज का विकास एवं कल्याण करना होता है। इस हेतु सरकारों द्वारा एक साल में देश या राज्य को होने वाली कुल आय तथा खर्चों के आधार पर कुछ लक्ष्य तय किए जाते हैं। इन लक्ष्यों के अनुसार सरकार अपने विभिन्न विभागों एवं अंगों के माध्यम से बजट का क्रियान्वयन करती है।

सरकार हर साल चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अर्थात् 31 मार्च से पहले आगामी 1 अप्रेल से शुरु होने वाले नये वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करती है एवं विधानसभा में इसे पेश कर पारित करवाती है। इस दौरान अपनी प्राप्तियों एवं व्यय के आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न लक्ष्य तय किए जाते हैं। ये लक्ष्य मुख्य रुप से राज्य की जनता के कल्याण एवं विकास को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं ताकि लोगों का वर्तमान जीवन स्तर उपर उठाया जा सके। अतः बजट केवल सरकार के कार्यों से जुड़ा विषय नहीं है बल्कि राज्य की जनता से जुड़ा विषय है। अतः सरकार के बजट के बारे में आवश्यक जानकारी एवं समझ एक आम नागरिक को अवश्य होनी चाहिए। बजट के संबंध में सरकार द्वारा जारी की जाने वाली बजट पुस्तकों एवं संबंधित दस्तावेजों में बजट आंकड़ों एवं कठिन आर्थिक शब्दों का उपयोग किया जाता है जिन्हें एक आम आदमी के लिए समझ पाना काफी मुश्किल होता है। इन पुस्तकों एवं दस्तावेजों को आर्थिक विशेषज्ञ अथवा इन विषयों पर गहरी समझ रखने वाले लोग ही भली–भांति समझ सकते हैं लेकिन आम आदमी के लिए यह एक जटिल विषय होता है।

चुंकि बजट एवं संबंधित नीतियों का सीधा संबंध नागरिकों के विकास एवं कल्याण से होता है अतः देश/राज्य के नागरिकों को राज्य बजट के बनाए जाने से लेकर इसके क्रियान्वयन एवं अंकेक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिये। इस सन्दर्भ में सरकार का यह दायित्व होना चाहिए कि बजट बनाने से पूर्व राज्य के आमलोगों एवं इनके कल्याण पर कार्य करने वाले संगठनों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ इस विषय पर विस्तृत चर्चा करे एवं इससे प्राप्त सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। आमतौर पर दोनों स्तरों पर यह प्रयास सामाजिक संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं।

इस संबंध में वर्ष 2002 से सामाजिक कल्याण का नैतिक दायित्व निभाते हुए बतौर सामाजिक संगठन कार्यरत "बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र", जयपुर द्वारा प्रस्तुत पुस्तिका के माध्यम से लोगों में बजट के बारे में जानकारी एवं जागरुकता लाने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक में दी गई जानकारी को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है– प्रथम जिसमें बजट के बारे में, प्रारम्भिक जानकारी जैसे बजट की परिभाषा, बजट शब्दावली, सरकार द्वारा बजट बनाने की प्रक्रिया, बजट पुस्तकें एवं अन्य दस्तावेज तथा बजट में कोडिंग प्रणाली शामिल है, को सरल एवं संक्षिप्त रुप में बताया गया है। द्वितीय, जिसमें बजट के अध्ययन एवं विश्लेषण पर जोर देते हुए उदाहरण सहित यह बताया गया है कि बजट का विश्लेषण किया जाना क्यों जरुरी है एवं यह किस प्रकार किया जाता है।

इसके अलावा बजट संबंधी शब्दावली एवं जानकारी की समझ हेतु बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क) द्वारा प्रकाशित "बजट शब्दावली एवं बजट अध्ययन : एक परिचय" का उपयोग करना भी लाभकारी होगा।

आशा है कि बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा प्रस्तुत इस पुस्तिका के माध्यम से पाठकों को बजट के बारे में मूलभूत जानकारी अवश्य प्राप्त हो सकेगी जिसके आधार पर राज्य बजट के अध्ययन एवं विश्लेषण को समझना आसान होगा।

2. क्या है बजट और इसका इतिहास

जैसा कि पहले बताया गया है कि बजट का मतलब सरकार का किसी निश्चित समयावधि के लिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्राप्तियों (आय) एवं खर्चों (व्यय) का ब्यौरा होता है। अर्थात् बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसके द्वारा सरकार प्रत्येक वर्ष निर्धारित तिथी को संसद (केन्द्र सरकार द्वारा) अथवा विधानसभा (राज्य सरकार द्वारा) में पेश किया जाता है।

अतः सरकार के पास कुल कितने वित्तीय संसाधन हैं, सरकार ने कितना कर वसूला है तथा कितना कर्ज लिया है तथा इन सबको कैसे खर्च कर रही है इसकी जानकारी बजट से मिलती है। इसके माध्यम से राज्य/देश में समाज के विकास एवं कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार की जाती हैं। बजट बनाने की प्रक्रिया, आकार, प्रस्तुतिकरण एवं परिणाम सभी व्यवस्थाओं में भले ही भिन्न–भिन्न हो सकते हैं लेकिन हर व्यवस्था में बजट बनाने का उद्देश्य एक ही होता है–उपलब्ध संसाधनों से सर्वोत्तम विकास एवं कल्याण की स्थापना करना। इसलिए हमें बजट के बारें में समझना जरुरी है। इस अध्याय में बताया गया है कि राज्य बजट कैसे तैयार किया जाता है, यह जनता तक कैसे पहुंचता है एवं सरकार द्वारा इस पर निगरानी कैसे रखी जाती है।

बजट की शुरुआत कैसे हुई ?

बजट एक फ्रांसिसी शब्द “Bougette से मिलकर बना है जिसका अर्थ चमड़े से बना छोटा थैला होता है, जो कि प्राचीनकाल में धन रखने के काम आता था। अगर आज के समय में देखा जाए तो बजट उसी प्राचीन

चित्र 1 : प्राचीन समय में धन रखने के काम आने वाला चमड़े का थैला (Bougettee– फ्रांसिसी शब्द)

चित्र 2 : आधुनिक बजट दस्तावेज

शब्द का आधुनिक रुप है जो कि धन के आय–व्यय का लेखा जोखा रखने का व्यवस्थित तरीका है।

आजादी के पश्चात् देश का पहला बजट भारत के पहले वित्त मंत्री आर. के. षणमुखम् चेट्टी द्वारा 26 नवम्बर 1947 को पेश किया गया। इसी तरह राजस्थान सरकार का पहला बजट राज्य के प्रथम वित्त मंत्री नाथूराम मिर्धा द्वारा प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1955 से पूर्व केन्द्रीय बजट संबंधी दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किए जाते थे इसके बाद से सभी दस्तावेज मातृभाषा हिन्दी में भी प्रकाशित किए जाते हैं। देश के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला केन्दीय बजट फरवरी माह के अन्तिम कार्यदिवस पर प्रातः 11 बजे संसद में पेश किया जाता है जो कि आने वाले 1 अप्रेल से लागू होता है। **हालांकि वर्ष 2017–18 से बजट को फरवरी माह के अंतिम दिन के बजाय फरवरी माह के प्रथम दिन पेश किया जाने लगा है, ताकि बजट को पास करवाने संबंधी कार्यो को 31 मार्च से पहले निपटाया जा सके।** इसके बाद राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट विधानसभा में पेश किया जाता है। आमतौर पर केन्द्रीय बजट देश के वित्त मंत्री द्वारा तथा राज्य बजट उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया जाता है।

- **क्या कहता है भारतीय संविधान बजट के बारे में ?**

भारतीय संविधान, जो कि देश का सर्वोपरी कानून है तथा राजनीति के सिद्धांतों, उसकी प्रक्रिया, शक्तियों एवं सरकारी संस्थाओं के कर्त्तव्यों को परिभाषित करता है। संविधान देश के नागरिकों के मूल अधिकारों, कर्त्तव्यों एवं नीति निर्देशक तत्वों को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में भी बजट को परिभाषित किया गया है। इसके भाग 5 के अनुच्छेद 112 में केन्द्रीय बजट की परिभाषा दी गई है जबकि राज्य बजट को भाग 6 के अनुच्छेद 202 में परिभाषित किया गया है। बजट को भारतीय संविधान में भी परिभाषित किया गया है इसका मतलब यह है कि यह भारत की राजनैतिक एवं आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लागू किये जाना संवैधानिक तौर पर आवश्यक है।

राज्य सरकार के बजट की अगर बात की जाए तो हर साल 1 अप्रेल से 31 मार्च तक के वित्तीय वर्ष के लिए करीब एक से दो माह पूर्व बजट विधानसभा में पेश किया जाता है। इस बजट के माध्यम से सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में होने वाली आय एवं विभिन्न मदों पर किए जाने वाले जरुरी खर्चों, जिनमें सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न जन–कल्याण योजनाओं पर किया जाने वाला खर्चा भी शामिल है, का लेखा जोखा तैयार करती है।

अगर किसी मद में गत वर्ष प्रस्तावित की गई राशि कम अथवा अधिक रह जाती है तो अगले वर्ष विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराकर इसमें संशोधन किया जा सकता है, जिसे पूरक बजट कहा जाता है। चालू वित्त वर्ष समाप्त हो जाने पर सरकार द्वारा इस वर्ष के दौरान प्राप्त कुल आय एवं कुल खर्चे के वास्तविक आंकड़े जारी किए जाते हैं। इस तरह सरकार के बजट आंकड़ें निम्न प्रक्रिया से गुजरते हैं :

चित्र संख्या 3 : बजट आंकड़ों की प्रक्रिया

अतः सरकार द्वारा जब भी आने वाले वित्त वर्ष के लिए बजट पेश किया जाता है तो उस वर्ष की बजट पुस्तकों सहित अन्य दस्तावेजों में तीन वर्षों के आंकड़ें प्रकाशित किए जाते हैं (1) पिछले वित्त वर्ष के वास्तविक आय–व्यय के आंकड़ें (2) चालू वित्त वर्ष के संशोधित बजट अनुमान (3) नये वित्त वर्ष के बजट अनुमान। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा मार्च 2015 में पेश किए गये बजट दस्तावेजों में चित्र संख्या 4 में दर्शाये गये तीन वर्षों के बजट आंकड़ें जारी किए गये।

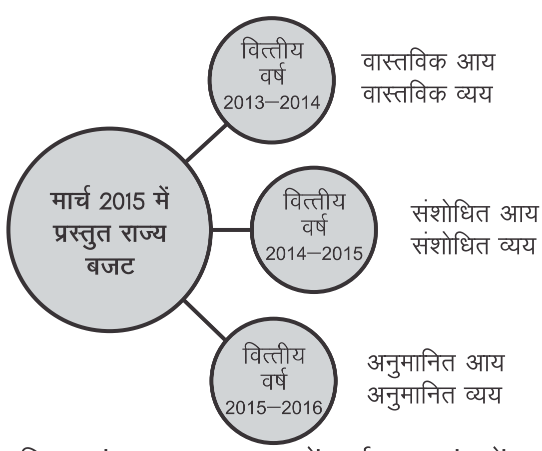

चित्र संख्या 4 : बजट में वर्षवार आंकड़ें

3. कैसे बनाया जाता है राज्य बजट एवं कैसे होता है विधानसभा में इसका प्रस्तुतिकरण

बजट के बारे में पारिभाषिक जानकारी के पश्चात हमारे लिए यह जानना जरुरी है कि सरकार द्वारा बजट कैसे बनाया जाता है एवं राज्य विधानसभा में पेश किए जाने से पूर्व बजट को किस प्रक्रिया से गुजारा जाता है। आमतौर पर राज्य की जनता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि राज्य बजट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। इस प्रकार पर्याप्त जानकारी के अभाव में राज्य की आम जनता द्वारा सरकार के बजट एवं इससे संबंधित नीतियों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इस अध्याय में बताया गया है कि राज्य बजट कैसे तैयार किया जाता है, यह जनता तक कैसे पहुंचता है एवं सरकार द्वारा इस पर निगरानी कैसे रखी जाती है।

अ. बजट चक्र (Budget Cycle)

सरकार द्वारा बजट बनाए जाने से लेकर राज्य की जनता तक इसकी पहुंच एवं अंकेक्षण (ऑडिट) के माध्यम से सरकार द्वारा अपने आय–व्यय पर रखी जाने वाली निगरानी की प्रक्रिया को निम्नानुसार एक चक्रिय चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है (चित्र संख्या 5)। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया एक चक्र की तरह चलती है जिसकी शुरुआत बजट निर्माण से होती है, इसमें बजट अनुमान तैयार किए जाते है, नई योजनाएं बनाई जाती हैं एवं विभिन्न स्तरों पर तैयार बजट को अंतिम रुप देकर विधानसभा में पेश किया जाता है।

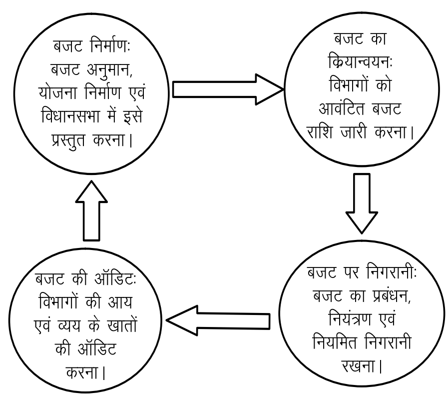

चित्र संख्या 5 : बजट चक्र

बजट चक्र के पहले चरण में विधानसभा / लोकसभा में पेश किये गये बजट पर बहस कर इसे अंतिम रुप से पारित किया जाता है तथा राज्यपाल / राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके बाद विभिन्न विभागों हेतु बजट में रखी गई राशि उन्हें जारी कर दी जाती है। इस राशि का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है– जैसे विभागों का संचालन, सरकारी सम्पत्ति का रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं योजनाओं का संचालन आदि। इस संबंध में विभागों को बजट के माध्यम से जारी की गई राशि का सही उपयोग हो एवं इसमें फिजूल खर्ची ना हो इसके लिए सरकार द्वारा इस राशि पर निगरानी रखी जाती है। इसके लिए सरकारी विभागों के आय एवं व्यय खातों की महालेखाकार कार्यालय (ए.जी. ऑफिस) द्वारा अंकेक्षण (ऑडिट) करवाया जाता है।

ब. सरकार द्वारा बजट कैसे बनाया जाता है :

बजट बनाने में राज्य सरकार के वित्त विभाग की सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह विभाग बजट सहित राज्य के सभी वित्तीय मामलों में नोडल विभाग के रुप में कार्य करता है जो कि मुख्य रुप से निम्न विषयों पर कार्य करता है :

चित्र संख्या 6 : सरकार द्वारा बजट बनाने की प्रक्रिया

राज्य वित्त विभाग

राज्य में उपलब्ध संसाधनों का आंकलन कर विभागवार बजट अनुमान तैयार करने के लिए राज्य के सभी विभागों को 31 अगस्त तक बजट सकुर्लर भेजा जाता है। इसके द्वारा सरकारी विभागों से आगामी वर्ष के लिए उनके आय एवं व्यय पर आधारित बजट अनुमान मांगे जाते हैं।

⇩

राज्य के सभी विभाग जिनमें स्थानीय निकाय एवं सार्वजनिक उपक्रम जैसे विघुत बोर्ड, परिवहन निगम आदि भी शामिल हैं।

सरकारी विभागों के द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान तथा चालु वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तैयार कर राज्य वित्त विभाग को भरे हुए फार्म के रूप में भिजवाये जाते हैं एवं ये आंकड़ें एक सॉफ्टवेयर–आईएफएमएस पर भी अपलोड किये जाते हैं।

⇩

राज्य वित्त विभाग

विभागों से प्राप्त बजट अनुमानों की छंटनी की जाती है एवं उन्हें अंतिम प्रारूप दिया जाता है।

राज्य वित्त विभाग की मदद हेतु सभी विभागों में **बजट फाईनलाईजेशन कमेटी –बीएफसी** बनाई जाती है। यह कमिटी बजट आंकड़ों को अंतिम प्रारूप प्रदान करती है। किसी विभाग में इनकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है।

विभागों से प्राप्त अनुमानों के आधार पर आगामी वित्त वर्ष हेतु योजना बजट का एक संतुलित स्तर तैयार कर इसे योजना विभाग को भेजा जाता है।

⇩

वित्त विभाग के द्वारा बजट से संबंधित दस्तावेज अंतिम रूप से तैयार करवाये जाते हैं। इन दस्तावेजों में एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित दस्तावेज भी तैयार करवाये जाते हैं। ये दस्तावेज राज्य बजट के साथ विधानसभा में पेश किए जाते हैं।

⇩

राज्य विधानसभा

बजट पेश करने के पश्चात् विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार तय दिवस को बजट पर साधारण बहस होती है।

विधानसभा में बजट पर बहस एवं वोटिंग होती है। इसके बाद अंतिम रूप से पारित बजट राशि राज्यपाल की अनुमति से राजकीय अधिसूचना जारी की जाती है तथा संबंधित विभागों को यह राशि जारी कर दी जाती है।

- बजट एवं इससे संबंधित दस्तावेज तैयार करवाना।
- सरकारी खर्च को नियंत्रित करना एवं उनके खातों की ऑडिट से संबंधित मामले।
- कर संग्रहण एवं रिफण्ड से संबंधित मामले।
- सरकारी कोष, इसकी सुरक्षा एवं निवेश से संबंधित मामले।
- सरकार द्वारा दी गई गारंटी से संबंधित मामले।

सरकारी बजट बनाने में वित्त विभाग के अतिरिक्त दो अन्य विभागों –आयोजना विभाग तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। ये विभाग राज्य का बजट बनाने में वित्त विभाग की सहायता करने के साथ ही बजट से संबंधित अन्य कार्यकलापों को सम्पन्न करवाते हैं तथा संबंधित दस्तावेज तैयार करवाते हैं। सरकार द्वारा बजट बनाये जाने की प्रक्रिया को निम्नानुसार समझा जा सकता है।

उपरोक्त रेखाचित्र के आधार पर सरकार द्वारा बजट बनाने की प्रक्रिया से संबंधित निम्न जानकारी प्राप्त होती है :

- सर्वप्रथम वित्त विभाग, राज्य में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का आंकलन करता है जिसमें राज्य में चल रही योजनाओं द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता राशि, इनके संचालन पर किये जाने वाला व्यय, राज्य के पास उपलब्ध स्वयं की कोषराशि एवं राज्य पर बकाया कुल कर्ज आदि शामिल होते हैं।
- वित्त विभाग द्वारा 31 अगस्त तक सभी विभागों को बजट सर्कुलर जारी किया जाता है। जिसके अनुसार सभी विभागों को आगामी वित्त वर्ष के दौरान अपनी आय एवं अनुमानित व्यय के आंकड़े तथा चालू वित्त वर्ष के संशोधित बजट अनुमान वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने होते हैं।
- राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सलाहकारों, उद्यमियों तथा विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्री–बजट मीटिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त विगत 2–3 वर्ष से राज्य की जनता से भी वेबसाईट के माध्यम से बजट पर सुझाव आमंत्रित किये जाने लगे हैं।
- विभागों से प्राप्त बजट अनुमानों की वित्त विभाग के द्वारा जांच की जाती है तथा इन्हें एक जगह समेकित किया जाता है। बजट संबंधित कार्यों में वित्त विभाग की सहायता एवं महत्त्वपूर्ण दिशा–निर्देश हेतु विभागों में बजट फाईनलाईजेशन कमेटी–बीएफसी बनाई जाती है।
- विभागों से प्राप्त बजट अनुमानों के आधार पर राज्य योजना बजट का प्रारुप तैयार कर वित्त विभाग द्वारा योजना विभाग को भेजा जाता है। इस प्रारुप की जांच एवं आवश्यक सुझावों के साथ यह प्रारुप योजना विभाग द्वारा पुनः वित्त विभाग को भेजा जाता है।
- वित्त विभाग सभी बजट अनुमानों की अंतिम रुप से जांच करता है एवं जरुरी होने पर संशोधन भी करता है। इसके बाद इन बजट अनुमानों को दस्तावेजों के रुप में तैयार किया जाता है जिन्हें राज्य बजट के माध्यम से विधानसभा में पेश किया जाता है।
- राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बजट पर विस्तृत चर्चा एवं बहस की जाती है जिसके आधार पर विधानसभा में बजट प्रस्तावों को पारित किया जाता है।
- राज्यपाल की अनुमति से सभी विभागों को बजट से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसके साथ राज्य के विभागों को बजट में उन्हें आवंटित राशि जारी कर दी जाती है।

<u>बजट एवं विधायिका</u> : राज्य विधानसभा में बजट पारित करवाने से लेकर इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में विधायिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बजट के क्रियान्वयन के लिए इसका राज्य विधानसभा में बहुमत से पारित होना आवश्यक है जो कि बजट सत्र के दौरान विस्तृत चर्चा एवं बहस के बाद राज्य के विधायकों द्वारा पारित करवाया जाता है। इस संबंध में बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा राज्य विधायकों के साथ समय–समय पर बजट पूर्व कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इन कार्याशालाओं से निम्न परिणाम एवं सुझाव प्राप्त किए गये :

- आमतौर पर बजट बनाने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विधायकों के साथ कोई बैठक आयोजित नहीं की जाती है जिससे राज्य बजट बनाने में विधायकों के सुझाव शामिल नहीं हो पाते हैं। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विधायकों के साथ बजट पूर्व कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए और उनसे प्राप्त सुझावों को बजट में शामिल किया जाना चाहिए।
- विधायक कोष से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की नई स्थाई संपत्तियों का निर्माण होता है और बजट के अभाव में इन संपत्तियों का रखरखाव नहीं हो पाता है। अतः राज्य बजट में इन संपत्तियों के रखरखाव के लिए भी राशि आवंटित की जानी चाहिए।
- विधायकों के अनुसार बजट सत्र की अवधि कम से कम एक माह होनी चाहिए जिससे बजट पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
- सरकार द्वारा विधायकों की बजट पर क्षमतावर्द्धन के लिए कम से कम 3 दिन की कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए और इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान रखा जाना चाहिए।
- ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि विधायक कोष की स्वीकृति के 45 दिवस की अवधि में कार्य आरम्भ हो जाए।
- विधानसभा सत्र एक वर्ष की अवधि में कम से कम 3 बार आयोजित किया जाना चाहिए एवं इनकी अवधि भी बढाई जानी चाहिए।

बॉक्स संख्या–1

बजट जनता तक कैसे पहुंचता है ?

<u>बजट का क्रियान्वयन</u> : विभिन्न विभागों को राज्य बजट में आवंटित की गई राशि विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल की अनुमति से संबंधित विभाग को जारी कर दी जाती है। यह राशि विभागों को उनके प्रशासनिक एवं कार्यालयी खर्चों सहित आयोजना व्यय तथा आयोजना भिन्न व्यय के रुप में खर्च करने के लिए जारी की जाती है। विभागों द्वारा इस राशि का उपयोग उनके माध्यम से चलाई जा रही विकास एवं जनकल्याण की योजनाओं के संचालन में किया जाता है।

सरकार द्वारा बजट पर निगरानी कैसे रखी जाती है ?

<u>बजट पर निगरानी</u> : राज्य बजट में विभागों को जारी की जाने वाली राशि का दुरुपयोग एवं फिजूलखर्ची पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा इन विभागों के खातों पर निगरानी रखी जाती है। इसके लिए राज्य के वित्त विभाग एवं योजना विभाग द्वारा समय समय पर विभागों द्वारा किए जा रहे खर्चों एवं प्राप्त लक्ष्यों का आंकलन किया जाता है।

<u>**सरकारी खातों का अंकेक्षण**</u> **(ऑडिट)** : सरकारी विभागों के खातों पर निगरानी रखने का कार्य एक तरफ तो राज्य के वित्त विभाग तथा आयोजना विभाग द्वारा खर्चों एवं लक्ष्यों के आंकलन के द्वारा किया जाता है वहीं दूसरी ओर सरकारी खातों के अंकेक्षण हेतु निर्धारित विभाग–महालेखाकार, राजस्थान (A.G.) द्वारा राज्य के सभी सरकारी विभागों के खातों का अंकेक्षण करवाया जाता है। केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत यह ए.जी. कार्यालय राज्य सरकार के आय–व्यय तथा राज्य की देनदारियों एवं अग्रिम से संबंधित खातों की ऑडिट करवाता है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा सरकारी विभागों के खातों का अंकेक्षण दो प्रकार से किया जाता है : – वित्तीय अंकेक्षण और प्रदर्शन आधारित अंकेक्षण (परफोरमेंस ऑडिट)। महालेखाकार कार्यालय द्वारा किए गये अंकेक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर सरकारी लेखा रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन तैयार करवाये जाते हैं। इसके अलावा महालेखाकार कार्यालय द्वारा बजट बनाने में भी राज्य सरकार को सहायता प्रदान की जाती है।

बजट फाईनलाईजेशन कमेटी (बीएफसी) : बजट निर्माण प्रक्रिया में वित्त विभाग की सहायता हेतु प्रत्येक विभाग के लिए एक या अधिक बीएफसी का गठन किया जाता है। राज्य के विभागों से प्राप्त बजट अनुमानों की छंटनी एवं उन्हें अंतिम प्रारुप देने का कार्य बीएफसी के द्वारा किया जाता है। इस कमेटी में राज्य के संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी शामिल किए जाते हैं।

बॉक्स संख्या–2

इस प्रकार बजट राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था के लिहाज से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय है। इस सन्दर्भ में प्रतिवर्ष बजट बनाने से लेकर इसके क्रियान्वयन, प्रबंधन एवं अंकेक्षण के माध्यम से इस पर निगरानी की सम्पूर्ण प्रक्रिया को संवैधानिक तरीके से सरकार द्वारा पूरा किया जाता है।

4. कैसा होता है राजस्थान का राज्य बजट

राज्य बजट को बनाये जाने की प्रक्रिया, प्रबंधन तथा इसके अंकेक्षण के बारे में जानकारी के पश्चात पाठकों को यह जानकारी होनी चाहिए कि राज्य बजट किस प्रारुप मे जारी किया जाता है। सरकार द्वारा बजट से संबंधित कौन–कौन सी पुस्तकें एवं दस्तावेज प्रकाशित किए जाते हैं एवं हम इन पुस्तकों एवं दस्तावेजों से राज्य बजट के बारे में आवश्यक जानकारी किस प्रकार देख सकते हैं ?

बजट पुस्तिकाएं एवं दस्तावेज

जैसा कि पिछले अध्याय में भी बताया गया है कि राज्य बजट में वित्त विभाग की सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि बजट बनाने से लेकर इससे संबंधित अधिकांश पुस्तकें एवं दस्तावेज वित्त विभाग द्वारा ही जारी किए जाते हैं। इन पुस्तकों एवं दस्तावेजों के अतिरिक्त बजट पर आधारित कुछ रिपोर्टें आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा भी तैयार करवाई जाती हैं।

(अ) बजट पुस्तिकाएं : राज्य के वित्त विभाग के द्वारा बजट मुख्य तौर पर 11 बजट पुस्तकों के रुप में जारी किया जाता है। इन पुस्तकों का प्रारुप नीचे चित्र संख्या 7 में दर्शाया गया है। जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि राज्य बजट आय एवं व्यय के रुप में बंटा होता है जिन्हें सरकार के कार्यों के आधार पर तीन प्रकार की सेवाओं सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विभाजित किया जाता है। अतः राज्य बजट को आय एवं व्यय के आधार पर विभिन्न श्रेणियों जैसे – राजस्व आय, पूंजीगत आय एवं व्यय, सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं, लोक ऋण, निर्माण कार्य इत्यादि में विभाजित कर इन बजट पुस्तकों में दर्शाया जाता है।

चित्र संख्या 7: बजट पुस्तिकाएं

1. **वार्षिक वित्त विवरण, विनियोगों एवं अनुदानों के लिए मांगों की अनुसूची (पुस्तक कोड–खण्ड–1)**

   इस पुस्तक में राज्य बजट के सारांश को आय–व्यय के आधार पर अलग–अलग विभाग, मद एवं शीर्षकवार आंकड़ों के रुप में दर्शाया जाता है।

2. **राजस्व प्राप्तियां (पुस्तक कोड–खण्ड–2 अ)**

   इस पुस्तक में सरकार को कर (Tax), गैर–कर एवं केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के रुप में प्राप्त होने वाली आय से संबंधित आंकड़ें दिए जाते हैं।

3. राजस्व व्यय – सामान्य सेवाएं (पुस्तक कोड–खण्ड–2 ब)

इस पुस्तक में सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत आने वाले विषयों जैसे–विधानसभा, पुलिस, लोक सेवा आयोग, बिक्री कर, वाहन कर, लोक निर्माण कार्य, जिला प्रशासन आदि से संबंधित राजस्व व्यय के आंकड़ें दर्शाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में राज्य सरकार द्वारा बकाया कर्ज पर चुकाए जाने वाले ब्याज की राशि, जो कि राजस्व व्यय में शामिल की जाती है, भी इस पुस्तक में दर्शाई जाती है।

4. राजस्व व्यय – सामाजिक सेवाएं (पुस्तक कोड–खण्ड–2 स)

इस पुस्तक में सामजिक सेवाओं के अन्तर्गत आने वाले विषयों जैसे–शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलापूर्ति, आवास, शहरी विकास, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण, श्रम एवं रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, पोषण आदि से संबंधित राजस्व व्यय के आंकड़ें दर्शाए जाते हैं।

5. राजस्व व्यय – आर्थिक सेवाएं (पुस्तक कोड–खण्ड–2 द)

इस पुस्तक में आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत आने वाले विषयों जैसे–कृषि, सिंचाई, पशुपालन, वानिकी, जल संरक्षण, सहकारिता, ग्रामीण विकास एवं रोजगार, बिजली, पेट्रोलियम, उर्जा, उद्योग, खनन, सड़क एवं परिवहन, पर्यटन आदि से संबंधित राजस्व व्यय के बजट आंकड़ें दर्शाए जाते हैं।

6. पूंजीगत प्राप्तियां एवं परिव्यय (पुस्तक कोड–खण्ड–3 अ)

इस पुस्तक में राज्य सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां जिनमें सरकार द्वारा शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि, सरकारी सम्पत्ति, प्लान्ट एवं मशीनरी की बिक्री से प्राप्त राशि के आंकड़ें दर्शाए जाते हैं। इसके अलावा इस पुस्तक में राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय के बजट आंकड़े दर्शाए जाते हैं जिनमें राज्य सरकार द्वारा भौतिक एवं स्थाई प्रकृति की परिसम्पत्तियों के निर्माण पर किया जाने वाला व्यय शामिल होता है।

7. लोक ऋण, उधार एवं लोक खाता (पुस्तक कोड–खण्ड–3 ब)

इस पुस्तक में राज्य सरकार के कर्ज, भविष्य निधि एवं राज्य बीमा तथा पेंशन निधि सहित लोक लेखा के आंकड़े दर्शाए जाते हैं।

8. अधिकारी/कर्मचारी वर्ग तथा उनकी वेतन श्रृंखलाओं का मदवार एवं भत्तों का विवरण (पुस्तक कोड–खण्ड–4 अ)

इस पुस्तक में राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्तों से संबंधित जानकारियां एवं उन पर होने वाले आय–व्यय के बजट अनुमान दर्शाए जाते हैं।

9. अनुदान/ऋण/निवेश (पुस्तक कोड–खण्ड–4 ब)

इस पुस्तक में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं से राज्य सरकार को होने वाली प्राप्तियां एवं व्यय, आयोजना (प्लान आउटले), अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के तहत प्रावधान, विनियोजनों का विवरण, सरकार के ऋणों का विवरण, सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां (गारंटी), स्थानीय निकायों जिनमें शहरी निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाएं दोनो शामिल हैं, को जारी की जाने वाली राशि एवं जेंडर बजट के आंकड़ें दर्शाये जाते हैं।

10. एवं 11. विभिन्न निर्माण कार्यों के विवरण भाग–I एवं भाग–II (पुस्तक कोड–खण्ड–4स एवं 4द)

बजट संबंधी सारगर्भित विवरण भाग **I** एवं **II**: दो भागों में जारी की जाने वाली यह बजट पुस्तिका वर्ष 2014–15 से राज्य के वित्त विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई है।

बजट संबंधी सारगर्भित विवरण भाग I एवं II: दो भागों में जारी की जाने वाली यह बजट पुस्तिका वर्ष 2014–15 से राज्य के वित्त विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई है। इस पुस्तिका में राज्य वित्त के मानक, राज्य की प्राप्तियों में गत वर्ष में हुए परिवर्तन, विभागवार व्यय, मुख्य योजनाओं के प्रावधान, राज्य की मुख्य सार्वजनिक संस्थाओं को दी जा रही वित्तीय सहायता तथा राज्य में विदेशी संस्थाओं की सहायता से चल रही परियोजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

बॉक्स संख्या– 3

(ब) बजट से संबंधित अन्य पुस्तिकाएं एवं दस्तावेज : उपरोक्त 11 बजट पुस्तकों के अतिरिक्त राज्य के वित्त विभाग तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा बजट से संबंधित कुछ अन्य पुस्तिकाएं एवं दस्तावेज भी प्रकाशित किए जाते हैं जिनके बारे में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार हैं:

- आर्थिक समीक्षा (Economic Review) – पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास के सूचकांकों के अतिरिक्त राज्य में चल रहे विभिन्न विकासशील कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित आंकड़ें दर्शाये जाते हैं।
- बजट भाषण (Budget Speech) – विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट का लिखित प्रारुप होता है।
- वित्त विधेयक (Finance Bill) – राज्य में कर संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए विधानसभा में रखे जाने वाले विधेयक का प्रारुप होता है।
- विनियोग विधेयक पर प्रेस विज्ञप्ति (Press Release on Appropriation Bill) – राज्य की संचित निधि से धन निकालने के लिए विधानसभा की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पेश किए जाने वाले विधेयक का प्रारुप होता है।
- प्रेस विज्ञप्ति (Press Release) – बजट में जारी की जाने वाली नई योजनाओं एवं नये प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण होता है जो कि विशेषतौर पर मीडिया हेतु जारी किया जाता है।
- आय–व्ययक : एक दृष्टि में (Budget at a Glance) – बजट संबंधित आय–व्यय के आंकड़ो को सारणी एवं चार्ट के रुप में दर्शाया जाता है।
- बजट अध्ययन (Budget Study) – राज्य की आय–व्यय सहित अन्य प्रमुख बिन्दुओं के आधार पर पिछले 5 वर्षों में प्रवृत्ति के आंकड़ों को सारणी एवं चार्ट आदि के रुप में दर्शाया जाता है।
- बजट अधिसूचना (Budget Notification) – बजट हेतु जारी की जाने वाली अधिसूचना का लिखित प्रारुप होता है।
- एफआरबीएम दस्तावेज (FRBM Document)–राज्य में आर्थिक स्थिरता एवं विवेकपूर्ण प्रबंधन, सरकार की वित्तिय गतिविधियों में पारदर्शिता एवं राजवित्तीय प्रबंधन हेतु लागू किए गये राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्त्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 के तहत राज्य के विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों एवं वित्तीय सूचकांकों का विवरण दिया जाता है।

बजट में उपयोग किए जाने वाले कोड

बजट पुस्तकों में दी जाने वाली जानकारी में सरकार द्वारा बजट को आय एवं व्यय के रुप में विभाजित कर इन्हें विभिन्न सेवाओं, विभागों, प्रवृत्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत / आयोजना एवं आयोजना भिन्न व्यय), तथा मदवार दर्शाया जाता है। बजट पुस्तकों में दी जाने वाली इस जानकारी में आय अथवा व्यय के विवरण के साथ ही सबंधित मद अथवा शीर्षक का संख्यात्मक रुप में बजट कोड भी दिया जाता है। जैसे कि नीचे दिये गये चित्रानुसार (गोले में) जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास विभाग के बजट में जलापूर्ति तथा सफाई के लिए व्यय हेतु बजट कोड 2215 दर्शाया गया है एवं आवास के लिए 2216 कोड दर्शाया गया है।

				(ग) जल पूर्ति सफाई आवास तथा शहरी विकास				
18,83,63,83	7,23,48	62,08	18,91,49,59	2215 जल पूर्ति तथा सफाई	20,16,09,63	12,02,09	20,28,12,22	74,09
84,55,63	6	"	84,55,69	2216 आवास	69,26,18	6	69,26,24	"
16,69,24,39	9,59,92,75	82,92	26,30,00,06	2217 शहरी विकास	17,54,24,46	14,88,22,05	32,42,46,51	4,12,09,25
36,37,43,85	**9,67,16,29**	**1,45**	**46,06,05,14**		**38,39,60,27**	**15,00,24,70**	**53,39,84,97**	**4,12,83,34**
				(ब) सूचना तथा प्रसारण				
1,59,18,04	"	"	1,59,18,04	2220 सूचना तथा प्रचार	77,81,98	46,96	78,28,94	"
				(र) अनुसूचितजातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए				
1,43,01,13	6,93,21,05	3,31,77,61	11,69,99,79	2225 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण	1,53,83,67	10,10,19,47	11,64,03,14	4,81,54,99
				(च) श्रमिक तथा श्रमिक कल्याण				
2,93,87,27	21,39,99	1,85,92	3,17,13,18	2230 श्रम तथा रोजगार	3,06,35,45	79,36,88	3,85,72,33	2,62,49
				(ख) सामाजिक कल्याण तथा पोषण				
26,89,24,65	11,90,20,88	26,44,09	39,05,89,62	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	31,73,24,43	6,42,05,35	38,15,29,78	4,17,11,32
92,15,05	5,55,54,87	7,16,40,16	13,64,10,08	2236 पोषण	95,14,85	15,84,57,06	16,79,71,91	9,46,63,30
7,13,92,11	"	8,63	7,14,00,74	2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	7,43,46,06	1	7,43,46,07	1

चित्र संख्या 8 : बजट पुस्तकों में बजट कोड

बजट कोड के बारे में मूलभूत जानकारी एवं ज्ञान होने पर बजट पुस्तकों से आवश्यक जानकारी सरलता से शीघ्रता के साथ सटीक रुप से निकाली जा सकती है। अतः बजट अध्ययन के क्षेत्र में बजट कोड के ज्ञान की जरुरत को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्याय में इसे समझाने का प्रयास किया गया है।

बजट कोड को कैसे समझें ?

जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि आय–व्यय के आधार पर सरकारी लेनदेनों एवं कार्यों को केन्द्र सरकार के नियंत्रक महालेखाकार (सी.ए.जी.) द्वारा विभिन्न सेवाओं/कार्यक्षेत्रों (Sectors) में बांटा गया है जैसे–सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान जिनमें विशेष कार्यकलाप एवं सेवाएं शामिल हैं। इन कार्यक्षेत्रों को उपक्षेत्रों (Sub-sectors) एवं मुख्य शीर्षों (Major Heads) में बांटा जाता हैं। कई बार आवश्यकता पड़ने पर मुख्य शीर्षों को उपमुख्य शीर्षों (Sub-major Heads) में भी विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार उपक्षेत्रों/मुख्य क्षेत्रों को लघु शीर्षों (Minor Heads) में विभाजित किया जाता है।

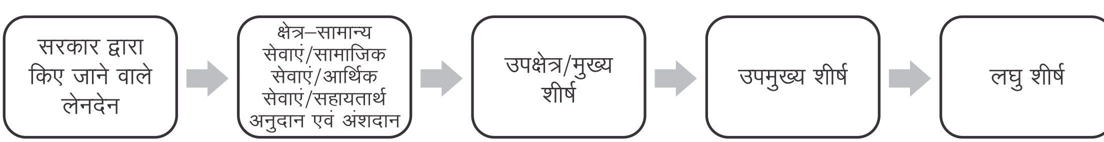

चित्र संख्या 9 – सरकारी सेवाओं/क्षेत्रों का विभाजन

मुख्य शीर्ष से लेकर लघु शीर्ष तक कोडिंग पद्धति नियंत्रक, महालेखाकार द्वारा तय की जाती है जो कि केन्द्र एवं सभी राज्य सरकारों के लिए एकसमान होती है। लघु शीर्ष से आगे–उपशीर्ष, वर्ग शीर्ष एवं ईकाई शीर्ष के लिए बजट कोड का वर्गीकरण राज्य सरकारों द्वारा महालेखाकार के परामर्श से तय किए जाते हैं।

इस प्रकार राज्य बजट एवं इससे संबंधित पुस्तकों एवं दस्तावेजों में विवरण को दर्शाने के लिए 6 स्तरीय लेखा प्रणाली का उपयोग किया जाता है जिनमें प्रथम तीन – मुख्य शीर्ष, उपमुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष के लिए बजट कोड केन्द्र एवं राज्य सरकारों हेतु एकसमान होते हैं एवं शेष तीन – उप शीर्ष (Sub Heads), वर्ग शीर्ष (Group Head) तथा ईकाई शीर्ष (Object Head) के लिए बजट कोड राज्य सरकारों द्वारा महालेखाकार की सलाह से तय किये जाते हैं। इन सभी शीर्षों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :

अ– सरकार के व्यय मदों की कोडिंग

मुख्य शीर्ष – 4 अंक
उपमुख्य शीर्ष – 2 अंक
लघु शीर्ष – 3 तक
उप शीर्ष – 2 अंक
समूह शीर्ष – 2 अंक
ईकाई शीर्ष – 2 अंक

ब– सरकार के आय मदों की कोडिंग

मुख्य शीर्ष – 4 अंक
उपमुख्य शीर्ष – 2 अंक
लघु शीर्ष – 3 तक
उप शीर्ष – 2 अंक
समूह शीर्ष – 2 अंक

चित्र संख्या 10 : बजट दस्तावेजों में व्यय (अ) एवं आय (ब) के लिए कोडिगं शीर्ष

उपरोक्त रेखाचित्र के अनुसार बजट के व्यय एवं आय मदों के लिए महालेखा नियंत्रक (सी.ए.जी) द्वारा कोड नंबर निर्धारित किये गये हैं। इसके अनुसार बजट में कोड नंबर के अंकों की संख्या एवं इनके स्थान का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये अंक एवं कोड़िंग में इनकी जगह स्थिति सरकारी लेनदेन की प्रकृति (आय, व्यय, राजस्व अथवा पूंजीगत आदि) को इंगित करते हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ पंचायती राज संस्थाओं को भी बजट बनाते समय इन कोड नंबर (शीर्ष) का समुचित ध्यान रखना होता है। इन शीर्षों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है।

मुख्य शीर्ष : यह बजट शीर्ष 4 अंकों का होता है जो सरकारी बजट के विभिन्न कार्यक्षेत्रों/उपक्षेत्रों पर आय या व्यय के एक मुख्य मद को दर्शाता है। यह सभी पंचायत, राज्य व केन्द्रीय बजट में एक समान होता है। मुख्य शीर्ष में प्रारंभिक अंक निम्न प्रकार के मदों को दर्शाते हैं।

बजट कोड में प्रथम अंक	संकेत	उदाहरण
0 या 1	राजस्व प्राप्तियां	0853–अलौह खनन तथा धातु कर्म से राजस्व, 1452–पर्यटन से राजस्व प्राप्ति
2 या 3	राजस्व व्यय	2202– सामान्य शिक्षा में राजस्व व्यय, 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में राजस्व व्यय, 2230–श्रम एवं रोजगार पर राजस्व व्यय, 3055–सड़क परिवहन पर राजस्व व्यय
4 से	पूंजीगत आय	4000–विविध पूंजीगत प्राप्तियां
4 या 5	पूंजीगत व्यय	4403–पशुपालन पर पूंजीगत व्यय, 5055–सड़क परिवहन पर पूंजीगत व्यय
6 या 7	ऋण शीर्ष	6004–केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम, 7610–सरकारी कर्मचारियों को कर्ज
8	आकस्मिकता निधि और लोक खाता	8000–आकस्मिकता निधि, 8009–राज्य भविष्य निधि

सारणी संख्या 1 : शीर्षवार कोड

उप–मुख्य शीर्ष : यह 2 अंकों का होता है जो मुख्य शीर्ष के अंतर्गत आने वाले उप विभागों/उप कार्य को दर्शाता है। उदाहरण – मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा में उपमुख्य शीर्ष 01–प्रारंभिक शिक्षा तथा 02–माध्यमिक शिक्षा को दर्शाता है। जहां मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत उपशीर्ष नहीं होता है वहां "00" कोड दिया जाता है।

लघु शीर्ष : यह 3 अंकों का होता है। मुख्य शीर्ष या उप मुख्य शीर्ष के अंतर्गत किसी कार्य विशेष से संबंधित कार्यक्रमों, मुख्य गतिविधियों एवं स्थानीय स्वशासन के ईकाइयों को दर्शाता है। उदाहरण– मुख्य

शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 01–प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत लघु शीर्ष 001–प्रशासन एवं निदेशन, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 103–प्राथमिक शिक्षा के लिये स्थानिय निकायों को सहायता, 796–जनजाति उपयोजना, 789–अनुसूचित जाति उपयोजना को दर्शाते हैं। कुछ लघु शीर्ष जैसे–101 का अर्थ अलग–अलग मुख्य शीर्ष में अलग–अलग होता है।

यहां यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष तक के कोड पूरे देश में सभी सरकारों के लिये समान होते हैं जिसे सी.ए.जी. ने तैयार किया है।

इसे निम्न सारणी में दिए गए बजट शीर्षों के उदाहरण से भी समझा जा सकता है –

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष
1	2202–सामान्य शिक्षा	01–प्रारंभिक शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा	001–निदेशन व प्रशासन 101–राजकिय प्राथमिक विद्यालय, 102–अराजकिय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 103–प्राथमिक शिक्षा के लिये स्थानिय निकायों को सहायता
2	2225–अनु. जातियों, अनु. जन जातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण	01–अनुसूचित जातियों का कल्याण	196–जिला परिषदों को सहायता

सारणी संख्या 2 : शीर्षवार कोड

उप शीर्ष : यह 2 अंकों का होता है। यह शीर्ष हमेशा इस छोटे कोष्टक ( ) में दर्शाया जाता है। लघु शीर्ष के किसी विशिष्ट कार्यक्रम के अंतर्गत योजना विशेष हेतु जारी राशि का विवरण इसमें प्रदर्शित होता है।

समूह शीर्ष (ग्रुप हैड) : यह भी 2 अंकों का होता है लेकिन यह शीर्ष हमेशा बडे कोष्टक [ ] में होता है, यह उप शीर्ष के अंतर्गत चलाई जा रही किसी योजना की एक गतिविधि का विवरण दर्शाता है।

ईकाई शीर्ष या विवरण शीर्ष (डिटेल हैड) : यह 2 अंकों का होता है। यह खर्च की प्रकृति अर्थात् अंतिम व्यय मद को दर्शाता है। जैसे क्या सामान खरीदा, संवेतन, यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि को दर्शाता है।

मांग (Demand) :

सरकारों के बजट में मांग का मतलब खर्च हेतु निश्चित आवश्यक राशि होती है, जिसे पास करवाने के लिए विधानसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा में बजट मांग के अनुसार स्वीकृत किया जाता है एवं एक मांग में कई विभागों को शामिल किया जा सकता है। मांग को संख्या के रुप में दर्शाने के लिए मांग संख्या का उपयोग किया जाता है। राजस्थान राज्य के समस्त विभागों को 51 विभिन्न मांगों में विभाजित किया गया है। जैसे :–

मांग संख्या 26 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

मांग संख्या 30 – जनजातीय क्षेत्रीय विकास

मांग संख्या 37–कृषि

सरकार के बजट संबंधी विभिन्न खाते :

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बजट को संविधान की भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अतः बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए राज्य की अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण होता है, जिसे राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य बजट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में परिभाषित किया गया है। प्रतिवर्ष फरवरी/मार्च में पेश किया जाने वाला राज्य बजट 11 बजट पुस्तकों सहित अन्य संबंधित दस्तावेजों के रुप में जारी किया जाता है। राज्य बजट का सारांश बजट पुस्तक संख्या खण्ड–1 में दिया जाता है। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए पेश किया गया बजट 1 अप्रेल 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए लागू होगा।

अंतरिम बजट एवं परिवर्तित बजट : राज्य सरकार का कार्यकाल समाप्त होने पर आगामी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक की अवधि के लिए सम्पूर्ण बजट पेश न किया जाकर विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया जाता है ताकि इस अवधि के दौरान राज्य में आर्थिक गतिविधियां सुचारु रुप से चालू रहें। इसके पश्चात नई सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के बाद विधानसभा में परिवर्तित बजट (Modified Budget) प्रस्तुत किया जाता है।

बॉक्स संख्या 4

तीन प्रकार में खातों को रखा जाता है – समेकित निधी, आकस्मिकता निधी एवं लोक खाता। आय एवं व्यय की प्रकृति के आधार पर सरकारी धन को इन खातों में रखा जाता है और इन्हीं के माध्यम से खर्च किया जाता है। अतः उपरोक्त तीनों नीधियों के बारे संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार दी गई है

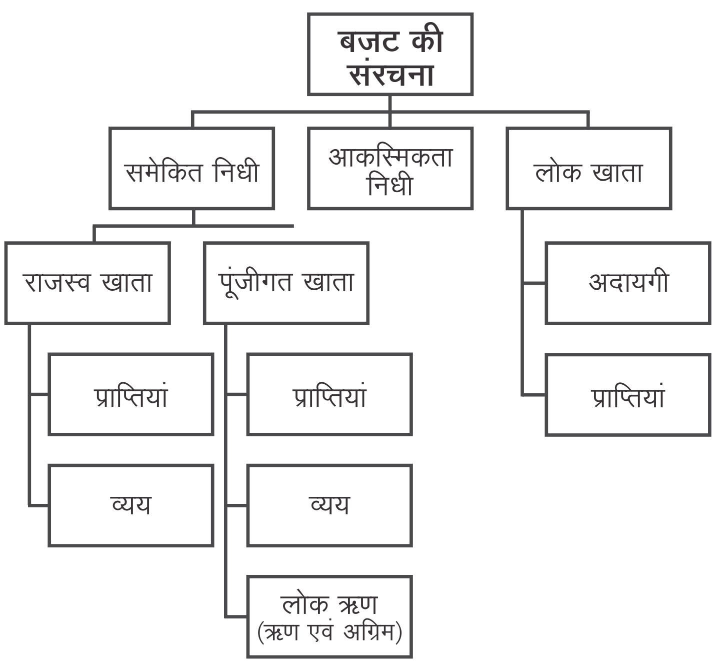

चित्र संख्या 11 : बजट की संरचना

- **समेकित निधी (Consolidated Fund)** : यह राज्य सरकार की आय एवं व्यय के लिए सबसे बड़ी निधी अथवा खाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) में परिभाषित इस खाते से खर्च करने के लिए आवश्यक धन विधानसभा की अनुमति से ही निकाला जा सकता है। राज्य सरकार की करों से प्राप्त आय, अन्य प्राप्तियां जैसे सरकारी सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि, सरकार द्वारा दिये गये ऋण की वसूली, सरकारी विभागों के संचालन एवं इनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर किया जाने वाला सरकारी व्यय इत्यादि समेकित निधी में से ही खर्च किए जाते हैं। आमतौर पर राज्य का अधिकांश बजट समेकित निधी में शामिल रहता है लेकिन इसका सारांश बजट पुस्तक संख्या–1 में देखा जा सकता है। (चित्र संख्या 12 के अनुसार)। समेकित निधी को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है (अ) राजस्व खाता (ब) पूंजीगत खाता, जिनके बारे में विस्तृत चर्चा आगे की जाएगी।

  उदाहरणतः सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वसूले गये बिक्री कर को राज्य की समेकित निधी में जमा किया जाता है तथा इस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्तों आदि का भुगतान समेकित निधी से किया जाता है।

- **आकस्मिकता निधी (Contigency Fund)** : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) में परिभाषित इस निधी में से वित्तीय वर्ष के बीच में राज्य में होने वाली बड़ी घटनाओं/आपदाओं के लिए धन संबंधित जरुरतों को पूरा किया जाता है। इस खाते से धन निकालने से पूर्व विधानसभा की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल की अनुमति से इस खाते से राशि निकाली जा सकती है। इसके बाद उक्त राशि के बराबर धनराशि समेकित निधी में से विधानसभा की अनुमति द्वारा निकाली जाती है और आकस्मिकता निधी में वापिस जमा कर दी जाती है। राज्य बजट में इस निधी से संबंधित जानकारी बजट पुस्तक संख्या–खण्ड 1 तथा पुस्तक संख्या–3ब से प्राप्त की जा सकती है।

  उदाहरण : राज्य में आए भूकम्प से प्रभावित पीड़ितों को सहायता प्रदान करने एवं उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक राशि राज्यपाल की अनुमति से आकस्मिता निधी से निकाली जाएगी। इसके बाद विधानसभा में पारित करवाकर समेकित निधी से इतनी ही राशि निकालकर पुनः आकस्मिकता निधी में जमा की जाएगी।

- **लोक खाता (Public Account)** : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) में परिभाषित लोक खाते में सरकार को जनता से प्राप्त जमाएं (समेकित निधी में प्राप्त जमाओं को छोड़कर) शामिल होती हैं। लघु बचत, भविष्य निधी एवं आरक्षित फंड आदि के रुप में इस खाते में जमा राशि हेतु सरकार एक बैंकर अथवा ट्रस्टी के रुप में कार्य करती है जिनकी परिपक्वता (mature) अवधि पूरी होने पर सरकार द्वारा जमाकर्ता को यह राशि ब्याज सहित लौटा दी जाती है। राज्य बजट में लोक खाते से संबंधित जानकारी बजट पुस्तक संख्या–खण्ड 1 तथा पुस्तक संख्या–3ब से प्राप्त की जा सकती है।

  उदाहरण : पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित लघु बचत योजनाओं अथवा एफडी के रुप में एकत्रित राशि राज्य के लोक खाते में जमा की जाती है जिसकी परिपक्वता (mature) अवधि समाप्त होने पर यह राशि ब्याज सहित लोक खाते में से निकालकर खाताधारक को लौटाई जाती है।

सरकार की आय के प्रकार (Types of Government Receipts) :

बजट के माध्यम से सरकार की आय एवं व्यय का लेखा जोखा बनाया जाता है। सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय विभिन्न प्रकृति की होती है जिसे अलग–अलग खातो में रखा जाता है। अतः सरकार की आय को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है जैसे : राजस्व आय एवं पूंजीगत आय, लोक ऋणों से प्राप्तियां, ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा से प्राप्तियां आदि।

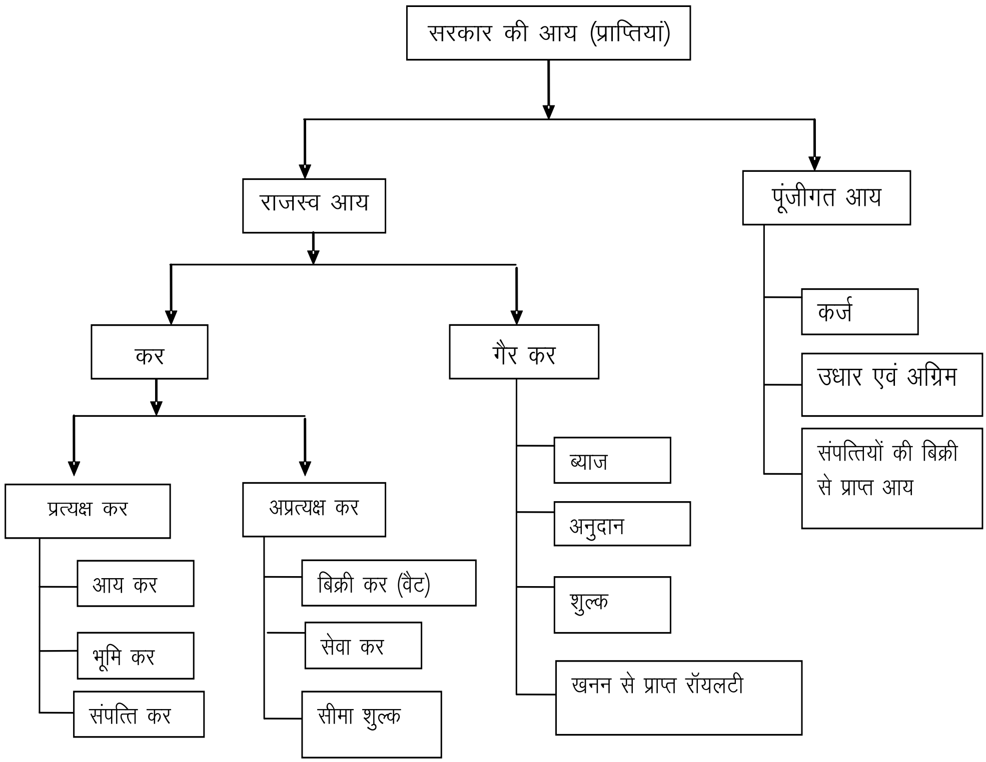

चित्र संख्या 12 : सरकार की आय

- **राजस्व खाता (Revenue Account)** : जैसा कि उपर भी बताया गया है कि सरकार की आय एवं व्यय को उनकी प्रकृति के आधार पर राजस्व एवं पूंजीगत खातों में बांटा जाता है। राजस्व खाते में सरकार की राजस्व आय एवं राजस्व व्यय को शामिल किया जाता है जिनके बारे मे संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है

  (i) **राजस्व प्राप्तियां** : सरकार की कुल प्राप्तियों में से करीब 80 फीसदी राजस्व प्राप्तियां होती हैं। इन्हें मुख्य रुप में दो श्रेणियों में बांटा जाता है :

  (ii) कर राजस्व प्राप्तियां – सरकार को करों के रुप में मिलने वाली आय जैसे बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन कर, केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा आदि। सामान्यतः कर दो प्रकार के होते हैं एक–प्रत्यक्ष कर एवं दूसरा– अप्रत्यक्ष कर

Keybudget, http://indiabudget.nic.in

अ. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) : प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भार अंतिम रुप से उस व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर कानूनी रुप से लगाया जाता है। उदाहरण के रुप में आयकर, धन कर, सम्पत्ति कर, उपहार कर आदि प्रत्यक्ष कर होते हैं।

ब. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) : अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भार करदाता स्वयं वहन न करके उसका भार अंशतः या पूर्णतः अन्य व्यक्ति पर डाल देता है। उदाहरण के रुप में बिक्री कर, उत्पाद कर, मनोरंजन कर, वेट आदि अप्रत्यक्ष कर होते हैं जिनकी राशि वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में जुड़ी हुई होती है। **अप्रत्यक्ष करों की जगह पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली स्थापित की जा रही है जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाये जा रहे करीब 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों की जगह पर एक जीएसटी लगाया जायेगा।**

जीएसटी में शामिल किये जाने वाले केन्द्रीय एवं राज्य कर :

केन्द्रीय कर : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क।

राज्य कर : राज्य बिक्री कर, मनोरंजन कर, केन्द्रीय बिक्री कर (जो केन्द्र लगाता है राज्य वसूलता है), चुंगी, प्रवेश, क्रय, विलासिता, लॉटरी, सट्टेबाजी कर।

बॉक्स संख्या 5

(2.) गैर–कर राजस्व प्राप्तियां : करों के अतिरिक्त अन्य साधनों जैसे–ब्याज, सहायतार्थ अनुदान, शिक्षण एवं अन्य सेवाओं के शुल्क से प्राप्त राशि, सरकारी उपक्रमों से लाभ एवं डिविडेंड आदि के रुप में सरकार को मिलने वाली राशि गैर–कर राजस्व प्राप्तियों में शामिल की जाती है।

आमतौर पर राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति सरकार को प्रतिवर्ष होने वाली आय के रुप में होती है जिन्हे किसी को वापिस लौटाया नहीं जाना होता है। अतः राजस्व प्राप्तियों से सरकार की देनदारियों (Liabilities) पर किसी प्रकार का असर नहीं होता है। सरकार की राजस्व प्राप्तियों का सारांश पुस्तक संख्या 1 में दिया जाता है जबकि इसकी विस्तृत जानकारी पुस्तक संख्या खण्ड–2अ में दी जाती है।

- **पूंजीगत खाता (Capital Account)** : सरकार के पूंजीगत खाते में आय एवं व्यय की प्रकृति के आधार पर पूंजीगत आय एवं पूंजीगत व्यय को शामिल किया जाता है जिनके बारे में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :

(i) पूंजीगत प्राप्तियां : इसके अंर्तगत सरकार द्वारा स्थाई भौतिक सम्पत्तियों को बेचने से प्राप्त राशि, सरकारी शेयर एवं डिबेन्चर्स की बिक्री से प्राप्त राशि के अलावा राज्य द्वारा केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य स्रोतों से लिया गया कर्ज शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा ऋण की वसूली, उधार एवं अग्रिम के तहत प्राप्त राशि भी पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल की जाती हैं।

आमतौर पर यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक स्रोत से सरकार को मिलने वाली राशि अगले वित्त वर्ष में भी प्राप्त हो अतः पूंजीगत प्राप्तियों की प्रवृति सरकार की नियमित आय के रुप में नहीं होती है बल्कि यह एकमुश्त मिलने वाली राशि होती है। अतः पूंजीगत प्राप्तियों के द्वारा सरकार की देनदारियों (Liabilities) में वृद्धि होती है। सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों का सारांश पुस्तक संख्या 1 में दिया जाता है जबकि इसकी विस्तृत जानकारी पुस्तक संख्या खण्ड–3अ, पूंजीगत प्राप्तियां एवं परिव्यय में दी जाती है।

- **लोक ऋण** (Public Debt) : सरकार द्वारा आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतों से ऋण के रुप में ली गई राशि लोक ऋण की श्रेणी में आती हैं। राज्य बजट में लोक ऋण से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रुप से बजट पुस्तक संख्या 1 में दी जाती है तथा यह जानकारी विस्तृत रुप से बजट पुस्तक संख्या 3ब में दी जाती है। सरकार दो प्रकार से ऋण ले सकती है – प्रथम राज्य के आन्तरिक स्रोतों से लिया गया ऋण आन्तरिक ऋण कहलाता है एवं बाह्य स्रोत, जिनमें आमतौर पर केन्द्र सरकार से ऋण लिया जाता है, बाह्य अथवा केन्द्रीय ऋण कहलाते हैं।

  (अ) आन्तरिक ऋण – इसमें राज्य सरकार द्वारा दो प्रकार से ऋण लिया जाता है–प्रथम, राज्य की वित्तीय संस्थाओं जैसे – राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, हाउसिंग डेवलेपमेंट फाईनेंस कार्पोरेशन लि., नाबार्ड, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं भारतीय सामान्य बीमा निगम आदि से लिया गया ऋण एवं –द्वितीय, जनता की बचत जमाओं पर आधारित सरकारी नीधियों जैसे राष्ट्रीय लघु बचत निधी अथवा भविष्य निधी आदि से सरकार अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिये कुछ राशि उधार के रुप में लेती है। इन ऋणों पर सरकार द्वारा समय–समय पर ब्याज भी चुकाया जाता है जो कि राजस्व व्यय के रुप में सरकार द्वारा किया जाने वाला बड़ा खर्चा है।

  (ब) बाह्य अथवा केन्द्रीय ऋण – राज्य सरकार अपनी वित्तीय जरुरतों को पूरा करने के लिए कई बार केन्द्र सरकार से भी ऋण लेती है, जिसे बाह्य अथवा केन्द्रीय ऋण कहा जाता है। इसके अन्तर्गत राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं जैसे– जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास योजना, राजस्थान लाइव्लीहुड़ प्रोजेक्ट, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम एवं अन्य योजनाओं को चलाने के लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार से ऋण लेती है।

- **उधार एवं अग्रिम** (Loan and Advances) : राज्य में विभिन्न विभागों के तहत संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों अथवा योजनाओं के वित्तीय पोषण हेतु केन्द्र सरकार से उधार एवं अग्रिम लिया जाता है।

सरकार के खर्चों के प्रकार (Types of Government Expenditure):
सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय की प्रकृति भी अलग–अलग होती है इसलिए सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्चों को विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है एवं इनके आधार पर इसे विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है जैसे :

(अ) राजस्व एवं पूंजीगत व्यय
(ब) आयोजना एवं आयोजना भिन्न व्यय
(स) दत्तमद[3] एवं प्रभृत्त व्यय[4]

(ii) राजस्व व्यय : सरकार द्वारा किए जाने कुल खर्च में से करीब 80 फीसदी व्यय राजस्व व्यय होता है। आमतौर पर राजस्व व्यय की प्रवृत्ति सरकार द्वारा नियमित रुप से किए जाने वाले भुगतान एवं खर्चों के रुप में होती है जैसे–सरकारी विभागों के संचालन पर किए जाने वाला प्रशासनिक व्यय, कर्मचारियों के वेतन–भत्ते, ब्याज अदायगियां, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यय इत्यादि। चूंकि राजस्व व्यय के द्वारा राज्य में किसी प्रकार की स्थाई संपत्ति का निर्माण नहीं किया जाता है अतः इस व्यय के कारण राज्य की स्थाई संपत्तियों पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है।

[3] वे खर्चे जो विधानसभा में मतदान द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।
[4] वे खर्चे जो संचित नीधि पर अनिवार्य रुप से प्रभारित होते हैं जैसे राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय आदि से संबंधित खर्चे जिन पर विधानसभा में मतदान नहीं होता हैं।

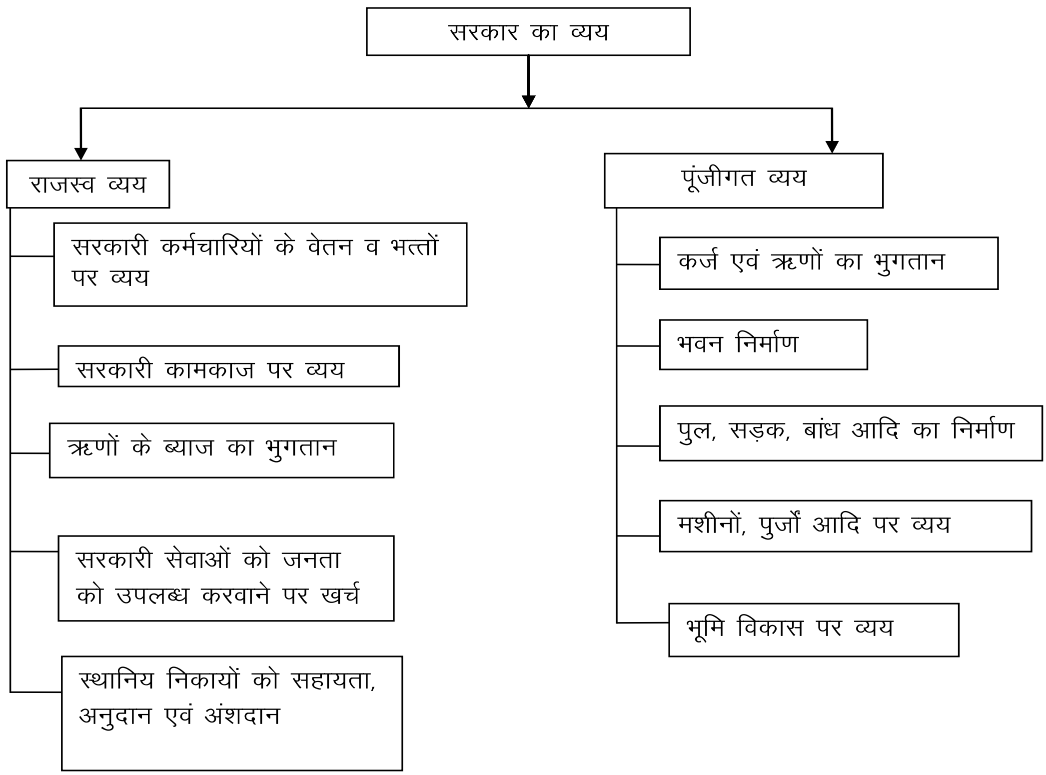

चित्र संख्या 13 : सरकार का व्यय

सरकार के राजस्व व्यय से संबंधित संक्षिप्त जानकारी राज्य बजट पुस्तक खण्ड संख्या–1 में दी जाती हैं एवं इसका विस्तृत विवरण तीन बजट पुस्तकों (1) राजस्व व्यय, सामान्य सेवाएं – पुस्तक खण्ड संख्या : 2ब (2) राजस्व व्यय, सामाजिक सेवाएं – पुस्तक खण्ड संख्या : 2स एवं (3) राजस्व व्यय, आर्थिक सेवाए – पुस्तक खण्ड संख्या : 2द, में दिया जाता है।

सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से अलग–अलग क्षेत्रों में कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों के आधार पर सरकारी सेवाओं को तीन हिस्सों में बांटा गया है : सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं। इन सेवाओं के बारे में मूलभूत जानकारी प्रस्तुत पुस्तक के प्रारम्भ में दी गई है।

(ii) पूंजीगत व्यय : सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्चे में से कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनसे राज्य में स्थाई सम्पत्तियों जैसे सरकारी कार्यालय, विद्यालय भवन, चिकित्सालय एवं पुल इत्यादि का निर्माण करवाया जाता है अथवा नई मशीनरी, संयंत्र, उपकरण आदि खरीदे जाते हैं, इस प्रकार का सरकारी व्यय पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा बकाया ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दी गई राशि भी पूंजीगत व्यय में शामिल की जाती है।

उपरोक्त आधार पर पूंजीगत व्यय की प्रवृति भी किसी एक मद पर प्रतिवर्ष किए जाने वाले नियमित व्यय के रुप में नहीं होती है एवं इनके द्वारा राज्य की संपत्तियों में वृद्धि होती है। सरकार के

पूंजीगत व्यय का सारांश पुस्तक संख्या 1 में दिया जाता है जबकि इसकी विस्तृत जानकारी पुस्तक संख्या खण्ड–3अ, पूंजीगत प्राप्तियां एवं परिव्यय में दी जाती है।

सरकार के खर्चों के अन्य प्रकार

- **आयोजना व्यय** (Plan Expenditure) : जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्चों को आयोजना एवं आयोजना–भिन्न व्यय के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। राज्य में पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं, सरकार द्वारा इन योजनाओं पर किया जाने वाला व्यय, आयोजना व्यय कहलाता है। आयोजना व्यय में शामिल किए जाने वाले खर्चों के प्रकार का वर्गीकरण भारतीय योजना आयोग (हालांकि वर्ष 2014–15 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया है) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

  इस संबंध में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जब तक कोई सरकारी योजना अपना निश्चित कार्यकाल पूरा नहीं कर लेती तब तक इस योजना पर किया जाने वाला खर्चा आयोजना व्यय की श्रेणी में आता है एवं निर्धारित कार्यकाल पूरा होने के बाद इस योजना पर किया जाने वाला खर्चा आयोजना भिन्न व्यय की श्रेणी में शामिल किया जाता है। राज्य बजट पुस्तकों में आयोजना व्यय का विवरण आमतौर पर सभी बजट पुस्तकों में दिया जाता है। इस संबंध में संक्षिप्त जानकारी बजट पुस्तक–खण्ड 1 से प्राप्त की जा सकती है एवं विस्तृत जानकारी राजस्व व्यय पर आधारित बजट पुस्तकों खण्ड–2ब, 2स एवं 2द तथा पूंजीगत व्यय के विवरण पर आधारित बजट पुस्तक खण्ड–3अ में दी जाती है। राज्य बजट को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

आयोजना भिन्न व्यय हेतु बजट राशि	आयोजना व्यय हेतु बजट राशि	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता
इस श्रेणी में सरकार द्वारा किए जाने वाले जरूरी खर्च शामिल हैं जैसे : सरकारी कर्मचारियों के वेतन व भत्ते, कार्यालय व्यय, ब्याज की अदायगी, सब्सिडी (मुख्य रूप से खाद्य एवं उवर्रकों पर) पेंशन भुगतान, पुलिस सेवा, तथा विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय शामिल हैं।	इस श्रेणी में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत चलाई जा रही योजनाओं पर किया जाने वाला खर्चा शामिल होता है। जिसमें राज्य के विकास एवं संपत्तियों के निर्माण हेतु किया जाने वाला निवेश भी शामिल होता है। इस मद पर राज्य के योजना विभाग के साथ मिलकर कार्य किया जाता है।	इस श्रेणी में विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र से प्राप्त राशि का अंश दिखाया जाता है। परन्तु यह कुल राशि के अलावा ना होकर आयोजना राशि में पहले से शामिल है। जैसे मनरेगा, एस.एस.ए. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इन्दिरा आवास योजना।

बॉक्स संख्या 6 : व्यय के अनुसार बजट का विभाजन

- **आयोजना –भिन्न व्यय (Non-Plan Expenditure)** : राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला ऐसा खर्चा जो कि आयोजना व्यय की श्रेणी में नहीं आता है, आयोजना भिन्न व्यय कहलाता है।

इस श्रेणी में रखा गया पैसा किसी योजना के माध्यम से खर्च नहीं किया जाता है बल्कि आमतौर पर इस श्रेणी में ऐसे खर्चे शामिल होते हैं जिन्हें सरकार के द्वारा किया जाना जरुरी होता है। जैसे सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन–भत्ते, कार्यालय व्यय, ऋणों पर ब्याज अदायगी आदि। आयोजना भिन्न व्यय से तात्पर्य यह कतई नहीं होता है कि यह राशि बिना किसी पूर्व योजना के खर्च की जाती है बल्कि राशि सरकार के आयोजना व्यय के अतिरिक्त अन्य मदों पर खर्च की जाती है। आयोजना व्यय की भांति आयोजना–भिन्न व्यय के बारे में भी राज्य बजट पुस्तकों में जानकारी दी जाती है।

2017–18 से बजट के आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण की समाप्ति :

गत वर्ष केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में वर्ष 2017–18 से बजट के आयोजना एवं गैर आयोजना वर्गीकरण को समाप्त करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुरुप राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा बजट का आयोजना व गैर आयोजना में वर्गीकरण समाप्त कर, इसे केवल राजस्व एवं पूंजीगत मदों के अनुसार पेश किया गया है।

बॉक्स संख्या 7

बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्ययः

इस प्रकार बजट पर आधारित उपरोक्त शब्दों के अलावा और भी बहुत से शब्द होते हैं जिनका प्रयोग बजट पुस्तकों एवं दस्तावेजों में अक्सर किया जाता है (चित्र संख्या 15 के अनुसार)। इस संबंध में इन शब्दों के बारे में पारिभाषिक जानकारी यहां पर दी रही हैः

2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (मेडिकल एण्ड पब्लिक हैल्थ)
सारांश

(रुपये करोड़ में)

लेखे 2012–2013			आय–व्ययक अनुमान 2013–2014			संशोधित अनुमान 2013–2014			लेखा शीर्ष	परिवर्तित आय–व्ययक अनुमान 2014–2015			
आयोजना भिन्न	आयोजना	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनाएं	आयोजना भिन्न	आयोजना	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनाएं	आयोजना भिन्न	आयोजना	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनाएं		आयोजना भिन्न	आयोजना	योग	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता
									01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी				
22,28,03	20,18,24	--	27,15,23	25,59,52	1	27,93,95	24,85,12	1	निदेशन और प्रशासन द	29,84,12	52,59,24	82,43,36	16,88,01
28,70	--	--	20,00	--	--	20,00	--	--	प्र	20,00	--	20,00	--
59,71,78	--	--	65,63,30	--	--	67,62,80	--	--	कर्मचारी राज्य बीमा योजना द	75,10,70	--	75,10,70	--

चित्र संख्या 14 : बजट में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय को समझना

- लेखे / वास्तविक व्यय (Actual Expenditure-AE) : किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किए गये वास्तविक व्यय का विवरण बजट पुस्तकों में लेखे या वास्तविक व्यय के रुप में दिया जाता है। बजट पुस्तकों में ये लेखे चालू वित्तीय वर्ष से एक वर्ष पहले समाप्त हो चुके वित्तीय वर्ष के लिए दर्शाये जाते हैं। जैसे मार्च 2015 में जारी राज्य सरकार की बजट पुस्तकों में वित्त वर्ष 2013–14 के लेखे / वास्तविक लेखे प्रस्तुत किये गये हैं। इन लेखों की सहायता से यह जानकारी मिल सकती है कि सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2013–14 में किसी विभाग, योजना, मद अथवा शीर्ष पर वास्तविक रुप से कितना खर्चा किया गया है।
- आय–व्ययक अनुमान (Budget Estimates-BE) : बजट अनुमानों में आगामी वित्त वर्ष के लिए

विभाग, योजना, मद एवं मदवार आय–व्यय के बजट अनुमान रखे जाते हैं। जैसे मार्च 2015 में जारी राज्य सरकार की बजट पुस्तकों में आगामी वित्त वर्ष 2015–16 के आय–व्यय अनुमान जारी किये गये हैं। इन अनुमानों की सहायता से यह जानकारी मिल सकती है कि सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2015–16 में किसी विभाग, योजना, मद अथवा शीर्ष के लिए कितनी राशि रखी गई है।

- संशोधित अनुमान (Revised Estimates-RE) : सरकार द्वारा आय–व्यय अनुमान जारी किए जाने के बाद चालू वित्त वर्ष के बीच में राज्य की वित्तीय जरुरतों के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जिन्हे संशोधित बजट अनुमान कहा जाता है। जैसे मार्च 2015 में जारी राज्य सरकार की बजट पुस्तकों में चालू वित्त वर्ष 2014–15 के संशोधित बजट अनुमान प्रस्तुत किये गये हैं। इन अनुमानों की सहायता से यह जानकारी मिल सकती है कि किसी विभाग, योजना, मद अथवा शीर्ष के लिए सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष 2014–15 के संशोधित बजट अनुमानों में पिछले वर्ष जारी किए गये आय–व्ययक अनुमानों की तुलना में कितना परिवर्तन किया गया है।

राज्य के घाटे एवं आधिक्य

अर्थव्यवस्था का यह एक प्रमुख सिद्धान्त है कि जहां धन का आदान प्रदान होता है वहां पर लाभ या हानि, दोनों में से कोई एक होना तय है। यही सिद्धान्त राज्य की अर्थव्यवस्था पर लागू होता है क्योंकि राज्य को अनेक स्रोतों से आय होती है तो विभिन्न कार्यों पर खर्च भी किया जाता है। इस कारण अगर किसी वर्ष में सरकार की आय, उसके व्यय से अधिक हो तो सरकार लाभ अथवा आधिक्य की स्थिति में रहेगी और इसका विपरीत होने पर सरकार को घाटा होगा।

आमतौर पर घाटा होना किसी भी व्यवस्था में अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन सरकार के बजट में घाटा होने का मतलब है सरकार द्वारा अपनी आमदनी की तुलना में अधिक खर्चा करना। इसलिए सरकार को बजट में होने वाले घाटे से जनता को फायदा होगा या नुकसान यह घाटे की प्रकृति पर निर्भर करता है। सरकार को विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों एवं भिन्न–भिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय के आधार पर सरकारी घाटों को अलग–अलग तौर पर आंका जाता है जैसे–बजट घाटा, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, राजकोषीय घाटा आदि।

- **राजस्व घाटा** (Revenue Deficit) : जब राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल राजस्व व्यय अधिक होता है तो इसे राज्य अर्थव्यवस्था में राजस्व घाटा कहा जाता है। राज्य बजट पुस्तकों में राजस्व घाटे के बारे में संक्षिप्त जानकारी बजट पुस्तक संख्या 1 में दी जाती है।

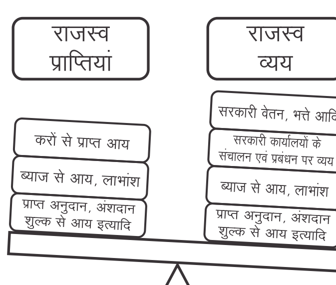

चित्र संख्या 15 : राजस्व घाटा

- **पूंजीगत घाटा** (Capital Deficit) : जब राज्य की कुल पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में कुल पूंजीगत व्यय अधिक होता है तो इसे राज्य अर्थव्यवस्था में पूंजीगत घाटा कहा जाता है।

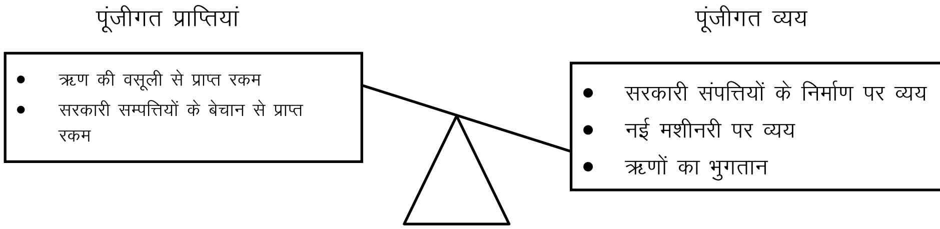

चित्र संख्या 16 : पूंजीगत घाटा

- **बजट घाटा** (Budget Deficit) : जब राज्य की कुल प्राप्तियों (राजस्व + पूंजीगत) की तुलना में कुल व्यय अधिक होता है तो इसे राज्य अर्थव्यवस्था में बजट घाटा कहा जाता है।

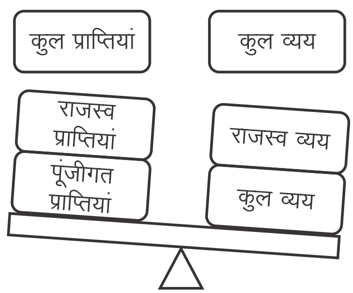

चित्र संख्या 17 : बजट घाटा

- **राजकोषीय घाटा/वित्तीय घाटा** (Fiscal Deficit) : राज्य की कुल प्राप्तियों, जिनमें लिया गया ऋण शामिल नहीं है, की तुलना में कुल व्यय अधिक होने पर इसे राज्य अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा कहा जाता है। आमतौर पर राज्य अर्थव्यवस्था की स्थिती का आंकलन राजकोषीय घाटे के आधार पर किया जाता है।

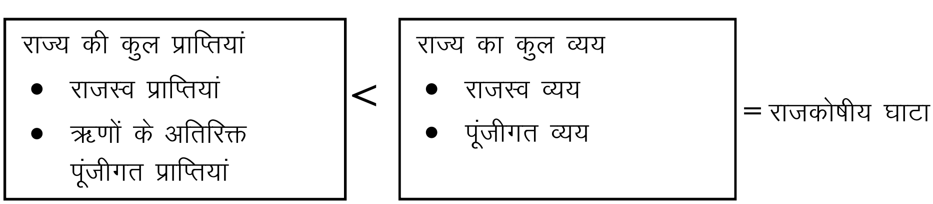

चित्र संख्या 18 : राजकोषीय घाटा

- **प्राथमिक घाटा** (Primary Deficit) : राजकोषीय घाटे में राज्य द्वारा चुकाई गई ब्याज अदायगियों को घटाने पर प्राप्त परिणाम प्राथमिक घाटा कहलाता है। अर्थात्

राजकोषीय घाटा – ब्याज अदायगियां = प्राथमिक घाटा

बजट संबंधी अन्य शब्द एवं कानून:

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम** (FRBM Act) 2003 : यह अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन लागू करने, राजकोषीय घाटे को कम करने एवं अर्थव्यवस्था में बजट संतुलन के माध्यम से सम्पूर्ण प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए लागू किया गया था, जिसे राज्य सरकारों द्वारा भी लागू किया गया। राज्य की फिजूलखर्ची को रोकने एवं राज्य पर बकाया कर्ज में कमी लाने के लिए इस अधिनियम के तहत राज्य के राजस्व घाटे को शून्य एवं राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाना लक्षित किया गया है।

- **सकल राज्य घरेलू उत्पाद** (Gross State Domestic Product-GSDP) : किसी एक निश्चित समय अवधि (आमतौर पर एक वर्ष) में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसके आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार का आंकलन किया जाता है। इसके आंकलन में यह ध्यान रखा जाता है कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा के मौद्रिक मूल्य का आंकलन दो बार न किया जाए।

- **दत्तमत व्यय** (Voted Expenditure) : सरकार द्वारा किए जाने वाले अधिकतर व्यय ऐसे होते हैं जो कि विधानसभा में मतदान द्वारा ही स्वीकृत किए जाते हैं। दत्तमद व्यय के अधीन रखी गई राशि में मतदान के द्वारा कटौती की जा सकती है लेकिन इनमें बढ़ोतरी नहीं की जा सकती।

- **प्रभृत व्यय** (Charged Expenditure) : सरकार द्वारा किए जाने वाले ये ऐसे व्यय होते हैं जो कि संविधान के अनुच्छेद 203(3) के अन्तर्गत संचित निधि पर अनिवार्य रुप से प्रभारित हैं। इन प्रभारों पर मतदान नहीं होता है तथा ना ही इस श्रेणी में व्यय हेतु रखी गई राशि को कम किया जा सकता है जैसे राज्यपाल, विधानसभा, उच्च्च न्यायलय, लोक सेवा आयोग आदि से संबंधित व्यय।

- **विनियोग विधेयक** (Appropriation Bill) : संचित निधी से कोई भी धन तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि वह पूर्णतया कानून सम्मत न हो। अतः सरकार संचित निधि से धन निकालने हेतु कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए विधानसभा में विनियोग विधेयक पारित करवाती है। बजट मांगें पारित होने के बाद बजट मांगों से संबंधित विधेयक विधानसभा में रखा जाता है जो कि विनियोग विधेयक कहलाता है। यह विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद ही सरकार को संबंधित राशि खर्च करने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है।

- **वित्त विधेयक** (Finance Bill) : कानूनी रुप से अधिकृत हुए बिना किसी भी प्रकार का कर सरकार नहीं लगा सकती है और न ही एकत्रित कर सकती है। अतः नये कर लगाने अथवा उनकी वसूली करने हेतु सरकार कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए विधानसभा में वित्त विधेयक पारित करवाती है। बजट मांगें पारित होने के बाद वित्त विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है जिसे पारित करवाने के बाद ही सरकार, जनता से नये करों के रुप में राजस्व वसूली के लिए कानूनी रुप से अधिकृत होती है।

क्या है बजट पारदर्शिता ?सरकार, जनता के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए लोक नीति बनाती है एवं विभिन्न कार्यक्रम लागू करती है। सरकार की लोक नीति का एक महत्त्वपूर्ण अंग है–बजट, जिसके माध्यम से राज्य में उपलब्ध संसाधनों का आवंटन, जो कि जनता की जरुरतों एवं विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखकर प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाता है। चूंकि बजट जनता से जुड़ा विषय है

अतः इसमें जनता की सहभागिता के लिए यह जरुरी है कि सरकार द्वारा बजट में पारदर्शिता अपनाई जाए। बजट पारदर्शिता से तात्पर्य है कि इससे संबंधित आवश्यक जानकारी एवं सूचनाओं को सरल एवं विस्तृत बनाया जाए ताकि लोगों को बजट से संबंधित जो भी सूचना अथवा जानकारी चाहिए वह सरल, संक्षिप्त एवं आसानी से प्राप्त हो सके। बजट के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की जनता को यह जानकारी होनी चाहिए कि सरकार ने किस मद में कितना पैसा रखा है और वास्तविक रुप से कितना खर्च किया गया है। अंत में, इस संबंध में प्राप्त परिणामों की जानकारी भी जनता को होनी चाहिए और यह तभी संभव है जब बजट में पर्याप्त पारदर्शिता रखी जाए। अतः सरकार द्वारा बजट में पारदर्शिता को एक लक्ष्य की भांति नहीं मानकर बल्कि बजट में जनता की सहभागिता को बढ़ावा देने एवं जनता के प्रति जवाबदेही के रुप में देखा जाना चाहिए।

बजट में पारदर्शिता क्यों जरुरी है ?

आमतौर पर सरकारी विभागों की कार्यनीतियों में पारदर्शिता का अभाव पाया है इस कारण आम जनता के साथ साथ सामाजिक संगठनों के लिए भी सरकारी नीतियों का मूल्यांकन कर पाना मुश्किल होता है। इस संबंध में बजट, जो कि सरकार की लोक नीति का महत्त्वपूर्ण अंग है एवं जनता से जुड़ा विषय है, के मामले में पर्याप्त पारदर्शिता होना आवश्यक है। बजट में पारदर्शिता से न केवल जनता को पूर्ण जानकारी मिलने का फायदा होता है बल्कि सरकार के लिहाज से भी बजट में पादर्शिता लाभप्रद है। बजट में पादर्शिता क्यों जरुरी है, इसके पीछे निम्न कारण दिए जा सकते हैं :

1. **भ्रष्टाचार में कमी :** बजट में पारदर्शिता के द्वारा राज्य में संसाधनों के आवंटन एवं व्यय से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है। इन सूचनाओं के आधार पर भ्रष्ट सरकारी अफसरों एवं बाबूओं के द्वारा सरकारी कोष का जो दुरुपयोग एवं गबन किया जाता है, उस पर लगाम कसी जा सकती है क्योंकि इससे इन लोगों द्वारा किए गये कार्यों की छानबीन की जा सकती है। इस प्रकार बजट में पारदर्शिता से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आम जनता के हित के लिए जारी किया जाने वाला सरकारी पैसा जरुरतमंदों तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सकता है।

2. **राज्य के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग :** बजट में पारदर्शिता को अपनाते हुए अगर राज्य के नागरिकों से बजट आधारित सेवाओं एवं उनकी बुनियादी जरुरतों पर उनकी प्रतिक्रियाएं मांगी जाए तथा इन पर उचित प्रतिक्रियाओं को बजट में शामिल किया जाए तो इससे राज्य के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग लिया जा सकता है। इससे राज्य में उपलब्ध संसाधनों का आवंटन लोगों की जरुरतों के अनुसार किया जा सकता है।

3. **सरकार में जनता के विश्वास को बढ़ावा :** आमतौर पर देखा जाता है कि भ्रष्टाचार के कड़वे अनुभवों, बुनियादी जरुरतों तथा सेवाओं के आंवटन में कमी और सरकारी योजनाओं के संचालन में अस्पष्टता के कारण लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ जाता है। इसके लिए राज्य के सरकारी खातों में पारदर्शिता अपनाये जाने से जनता सरकार पर अधिक विश्वास कर सकती है।

4. **सरकारी आय में वृद्धि :** यदि लोगों को यह भरोसा हो जाए कि कर एवं सहायता राशि के रुप में सरकार को दी गई राशि उचित तरीके से खर्च की जाएगी एवं इसका हिसाब किताब पारदर्शी रखा जाएगा तो इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे करों का भुगतान करने तथा स्कूलों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को सहायता राशि देने के लिए आगे आयेंगें।

बजट में पारदर्शिता को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए ?

बजट का दायरा बहुत विस्तृत है इस कारण सरकार के द्वारा बजट में पारदर्शिता प्रत्येक स्तर – राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय एवं सेवाप्रदाता सुविधाओं (जैसे विद्यालय अथवा स्वास्थ्य सुविधाएं) पर की जानी चाहिए। इसकी शुरुआत बजट निर्माण से ही की जानी चाहिए जिसके तहत बजट को जहां तक संभव हो सरल रुप दिया जाना चाहिए। इसके अगले चरण में यह प्रयास किए जाने चाहिए कि राज्य के आमजन तक बजट से संबंधित जानकारी पहुंचे, इसके लिए सरकारी स्तर पर बजट के प्रचार हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस स्तर तक सरकारी प्रयासों की सहायता से लोगों में बजट के प्रति जागरुकता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त चुने हुए नागरिकों को बजट के अध्ययन एवं विश्लेषण से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जा सकती है ताकि वे लोग बजट के अध्ययन एवं विश्लेषण के साथ साथ अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर सकें। इन प्रतिक्रियाओं पर विचार–विमर्श कर, प्राप्त उचित सुझावों को सरकार द्वारा अपने बजट में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार सरकार बजट में पारदर्शिता को बढ़ावा देकर इसे जनता के लिए और अधिक कारगर बना सकती हे।

वर्तमान में राज्य बजट में कितनी पारदर्शिता है ?

बजट में पारदर्शिता को लेकर पूर्व में किए गये अध्ययनों से प्राप्त परिणामों के अनुसार आमतौर पर राजस्थान राज्य बजट में पर्याप्त पारदर्शिता का अभाव पाया जाता है। यद्यपि राज्य सरकार बजट से संबंधित अधिकांश दस्तावेज जारी करती है लेकिन राज्य बजट में पारदर्शिता के मामले में आमतौर पर निम्न कमियां पाई जाती हैं :

- बजट पुस्तकों एवं दस्तावेजों में निम्न विषयों पर कोई जानकारी नहीं दी जाती है – राज्य की पूंजीतगत संपत्तियों के रखरखाव एवं प्रबंधन पर किए जाने वाले व्यय की विस्तृत जानकारी, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मामलों में कर छूट प्रदान करने के कारण हुई राजस्व हानि की विस्तृत जानकारी आदि।
- आगामी वित्त वर्ष हेतु राज्य बजट परिपत्र एवं बजट कैलेण्डर सभी सहभागियों को निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत विगत अवधि में किए गये समझौतों/एमओयू के बारे में विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है।
- बजट दस्तावेजों में राज्य बजट में राशि आवंटन एवं व्यय के बारे में जिलेवार ब्यौरा नहीं दिया जाता है।
- राज्य की बकाया देनदारियों के मामले में भी बजट दस्तावेजों में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

यद्यपि बजट में पारदर्शिता को लेकर सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्रयास किए जा रहें हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम भी देखने में आ रहे हैं। अतः उपरोक्त मामलों में भी यह उम्मीद की जा सकती है कि इस दिशा में सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जायेगें जिनसे बजट पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

पारदर्शिता के लिए क्या कर सकती है सरकार

पूर्व में बताई गई जानकारी के अलावा सरकार के द्वारा कुछ ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं जिनसे राज्य बजट में अधिक पारदर्शिता रखी जा सके और अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जान सकें, समझ सके एवं इसे लागू करवाने में सहभागी बन सकें :

- बजट को सरल एवं जनहितैषी बनाकर इसे "नागरिकों का बजट" बनाये जाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- बजट पर क्षमता विकसित करने के लिए बजट की जानकारी पर सरल व संक्षिप्त नियमावली, पर्चे प्रकाशित किए जाने चाहिए।
- विद्यालय एवं महाविद्यालय की शिक्षा के पाठ्यक्रम में बजट से संबंधित जानकारी को शामिल किया जाना चाहिए।

जिला स्तर पर बजट संबंधित निम्न दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाने चाहिये–

- **जिला स्तरीय बजट पुस्तिका (विभागवार जिला बजट)** : राजस्थान में जिला बजट पर कोई पुस्तिका नहीं है अतः सरकार को हर जिले हेतु जिला स्तरीय बजट दस्तावेज तैयार करना चाहिये जो प्रत्येक जिले को कुल आवंटित बजट राशि की विभागवार/मुख्य मदवार जानकारी दे।
- **स्थानीय ग्रामीण तथा शहरी निकायों को हस्तांतरण का विवरण** : राज्य सरकार द्वारा हर साल ग्रामीण एवं शहरी निकायों को राशि उपलब्ध करवायी जाती है जिसका सीमीत विवरण बजट दस्तावेज में उपलब्ध होता है। राज्य सरकार को इनका विस्तृत निकायवार विवरण उपलब्ध करवाना चाहिये।
- **जिला विकास आयोजना** : जिला आयोजना समिती द्वारा जिले की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषद एवं स्थानीय शहरी निकायों द्वारा तैयार की गयी आयोजनाओं के आधार पर जिला विकास आयोजना तैयार किया जाता है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को आम लोगों की पहुच में लाया जाना चाहिये।
- **जिला स्तरीय आउटपुट एवं आउटकम बजट** : वर्तमान में जिला स्तर पर आउटपुट एवं आउटकम बजट प्रपत्र तैयार नहीं किये जाते हैं। अतः जिला स्तर पर आउटपुट एवं आउटकम बजट प्रपत्र तैयार किये जाने चाहिये।
- **ट्रेजरी वेबसाइट को आम आदमी के लिये खोला जाये** : राज्य में अभी तक जनता की ट्रेजरी वेबसाइट तक पहुंच बहुत ही सीमीत है एवं इससे बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध हो पाती है। अतः सरकार द्वारा इसे जनता के लिये खोला जाये ताकि कोई भी व्यक्ति सरकार की आय एवं खर्च को नियमित एवं समयावधिक रुप से ट्रैक कर सके।
- **वे बजट दस्तावेज जो राज्य स्तर पर उपलब्ध होने चाहिये** –
  - ➢ आउटकम बजट
  - ➢ बेहतर जेंडर बजट स्टेटमेंट
  - ➢ गत वर्ष की बजट घोषणाओं के क्रियांवयन की स्थिति

नोट– विस्तृत जानकारी के लिये बार्क द्वारा प्रकाशित पुस्तिका–राजस्थान में जिला स्तर पर बजट पारदर्शिता (अंग्रेजी में) का सदंर्भ भी लिया जा सकता है।

बॉक्स संख्या 8

5. कैसे करें बजट का अध्ययन

बजट शब्दावली एवं राज्य बजट पुस्तकों के बारे में प्रारंभिक जानकारी जुटाने के बाद इस दिशा में अगला पड़ाव है–बजट का अध्ययन एवं विश्लेषण। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष पेश किया जाने वाला बजट आंकड़ों पर आधारित भारी भरकम बजट पुस्तकों एवं दस्तावेजों के रुप में होता है जिनमें से वांछित जानकारी जुटाना सामान्य शैक्षणिक स्तर वाले आम आदमी के लिए कठिन होता है। इसके लिए बजट का अध्ययन करना जरुरी है एवं सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध आंकड़ों तथा सूचनाओं का विभिन्न पहलूओं के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। अतः इस संबंध में प्रस्तुत अध्याय में बजट के अध्ययन एवं विश्लेषण के बारे में बताया गया है कि बजट का अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है।

क्या है बजट का अध्ययन एवं विश्लेषण

जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि बजट के द्वारा सरकार राज्य की जनता के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को आधार मानकर राज्य में उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन करती है। इसके लिए राज्य की जनता में व्याप्त समस्याओं, एवं उनकी जरुरतों को ध्यान में रखकर बजट में विकास एवं कल्याण हेतु प्राथमिकताएं तय की जाती हैं। इन प्राथमिकताओं के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि समाज के एक समूह अथवा समुदाय विशेष हेतु बजट में कितना पैसा रखा जाना चाहिए और इस पैसे का आवंटन किस प्रकार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अब चूंकि यह जनता से जुड़ा विषय है, इसलिए आवश्यक है कि इसमें जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाए एवं जनता के द्वारा बजट से प्राप्त परिणामों का अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जाए। इसके लिए जनता को राज्य बजट का अध्ययन एवं विश्लेषण करना चाहिए। वर्तमान में बजट का अध्ययन एवं विश्लेषण सामाजिक संगठनों के द्वारा किया जा रहा है लेकिन इसके साथ–साथ यह जरुरी है कि राज्य की जनता भी इस दिशा में आगे आए।

परिभाषा के तौर पर –जनसंख्या के किसी एक समूह के वर्तमान स्तर, व्याप्त समस्याओं एवं उपलब्ध संसाधनों के परिपेक्ष्य में राज्य बजट में उनके लिए आवंटित की गई राशि का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना ही बजट का अध्ययन एवं विश्लेषण कहलाता है।

क्यों किया जाता है बजट का अध्ययन एवं विश्लेषण : इस सन्दर्भ में निम्नानुसार अनेक कारण हैं जिनके आधार पर राज्य बजट का अध्ययन एवं विश्लेषण किए जाना आवश्यक है :

- बजट के अध्ययन एवं विश्लेषण से यह जानने में सहायता मिल सकती है कि राज्य में आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रुप से पिछड़े लोगों के विकास एवं कल्याण हेतु निर्धारित अधिकारों एवं प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त बजट राशि आवंटित की गई है या नहीं।
- यह जानकारी प्राप्त करने के लिए कि सरकार द्वारा सही जगह पर पैसा खर्च किया जा रहा है या फिर ऐसी जगह, जहां खर्च किए जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।
- बजट के अध्ययन एवं विश्लेषण से लोगों की बजट के प्रति जागरुकता एवं इसमें सहभागिता को बढ़ावा मिलता है जिससे सरकार द्वारा बनाये जाने वाले बजट को गरीब एवं पिछड़े लोगों की जरुरतों के अनुसार बनाया जा सकता है।

- इसके आधार पर लोगों को यह जानकारी प्राप्त होती है कि सरकार को किन–किन स्रोतों से कितनी आय प्राप्त हो रही है एवं किस मद पर सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है अर्थात राज्य में जनता के पैसे का उपयोग कब, कहां और कैसे किया जा रहा है।
- बजट के अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं पर निगरानी रखी जा सकती है कि किस योजना पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है और इस योजना के क्या परिणाम मिले हैं।
- इसके आधार पर सरकारी धन के दुरुपयोग पर निगरानी रखी जा सकती है एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा जनअधिकारों की पैरवी करने में बजट विश्लेषण एक कारगर स्रोत होता है।
- बजट के अध्ययन एवं विश्लेषण के दौरान पिछले वर्षों में राज्य की आय एवं विभिन्न विषयों अथवा मदों पर होने वाले व्यय से प्राप्त परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगामी वर्ष के लिए नई योजनाएं एवं लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त बजट के विश्लेषण से राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है।

कैसे किया जाता है बजट का विश्लेषण

सरकार द्वारा राज्य बजट, आय–व्यय, राजस्व–पूंजीगत खातों, विभिन्न सेवाओं– सामाजिक, आर्थिक व सामान्य एवं लोक ऋण आदि के आधार पर बांटकर बजट पुस्तकों एवं दस्तावेजों के रुप में जारी किया जाता है। इन पुस्तकों में दी जाने वाली जानकारी के द्वारा किसी एक विभाग अथवा योजना के लिए आवंटित की गई राशि का पता लगाना आसान है लेकिन इन पुस्तकों के आधार पर जनसंख्या के किसी एक समूह अथवा समुदाय के लिए आवंटित बजट का पता लगाना कठिन है। क्योंकि बजट पुस्तकों में राज्य बजट को सरकार के क्षेत्र अथवा विभागों के रुप में बांटा गया है और उसी के अनुसार बजट आवंटित किया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों से केन्द्र सरकार एवं योजना आयोग (अब नीति आयोग) की पहल पर सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना, अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजना, एवं महिलाओं हेतु जेंडर बजट को राज्य बजट पुस्तकों में अलग से दर्शाया जाता है। जिनके आधार पर यह जानकारी प्राप्त हो सकती है कि राज्य बजट में इन जनसमूहों के लिए कितना पैसा रखा गया है।

उपरोक्त सामाजिक वर्गों के अलावा समाज में बहुत से लोग हैं जो कि पिछड़े एवं वंचित हैं तथा इन लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच भी नहीं है। इन लोगों अथवा जनसमूहों के बारे में यह जानकारी जुटाना कठिन है कि बजट में इनके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है जैसे – निर्धन वर्ग, निःशक्तजन, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं एवं वरिष्ठ नागरिक आदि। इसके लिए इन लोगों के अधिकारों, वर्तमान स्थिति एवं जरुरतों के आधार पर राज्य बजट का अध्ययन किया जाता है।

राज्य बजट का अध्ययन दो प्रकार से किया जा सकता है– प्रथम, सरकार के कार्यक्षेत्र अथवा विभागों के अनुसार एवं द्वितीय–विभिन्न सामाजिक समुदायों अथवा वर्गों के अनुसार। इस संबंध में बजट, इन दोनों आधारों को जोड़कर देखा जाना चाहिए अर्थात किसी एक वर्ग समूह के लिए संबंधित विभाग द्वारा क्या–क्या योजनाएं चलाई जा रही है, बजट में कितना पैसा रखा गया है और अन्य विभागों द्वारा इस समूह के लिए क्या बजट प्रावधान किए गये हैं ?

बजट विश्लेषण, आंकड़ों पर आधारित कोई जटिल गणितीय प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह बजट को विविध आयामों से जांचने, परखने की संकल्पना मात्र है। बजट विश्लेषण के द्वारा सरकार के बजट को समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं एवं जरुरतों के परिप्रेक्ष्य में आंका जाता है। इस संबंध में इन लोगों की वर्तमान परिस्थितियों एवं सरकारी नीतियों का अध्ययन किया जाता है एवं पिछले वर्षों के दौरान इन वर्गों के लिए रखी गई बजट राशि की प्रवृत्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

राज्य बजट की पिछले वर्षों में प्रवृति के आधार पर यह जानकारी मिल सकती है कि सरकार द्वारा लोकनीति के माध्यम से एक समुदाय हेतु किये गये प्रयास कहां तक सफल रहे हैं ? इससे प्राप्त परिणामों के आधार पर सरकार को भी आगामी योजनाएं बनाने में बहुत सहायता मिल सकती है।

आमतौर पर राज्य बजट सरकार के कार्यक्षेत्र अथवा विभागवार बंटा हुआ होता है जैसे –चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, सिंचाई, कृषि, शिक्षा तथा श्रम एवं रोजगार आदि। समाज के किसी जनसमूह अथवा समुदाय पर आधारित बजट का अध्ययन एवं विश्लेषण किए जाने के लिए निम्न बिन्दुओं का होना आवश्यक है :–

1. **मुद्दे :** किसी भी विषय पर बजट का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के लिए उसमें मुद्दों का होना आवश्यक है क्योंकि मुद्दे से किसी कार्य को दिशा मिलती है। इन मुद्दों के आधार पर विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों की समस्याओं एवं जरुरतों को जानने एवं समझने में सहायता मिलती है एवं इनके अधिकारों का हनन होने की स्थिति में पैरवी हेतु मुद्दों का होना आवश्यक है।
2. **संसाधन :** इस संबध में यह जरुरी है कि जिन मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है उनके बारे में हमें मूलभूत जानकारी होने के साथ इस सन्दर्भ में उपलब्ध संसाधनों जैसे–सरकार की नीतियां, भौतिक एवं वित्तीय स्तर, आदि, का ज्ञान होना चाहिए।
3. **बजट प्रावधान :** जिस जनसमूह अथवा समुदाय अथवा क्षेत्र/विषय के बारे में बजट अध्ययन किया जा रहा है उससे संबंधित मुद्दों एवं संसाधनों के बारे में जानकारी होने के साथ ही इससे संबंधित बजट प्रावधानों का पता होना चाहिए अर्थात हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि उक्त जनसमुदाय अथवा क्षेत्र/विषय हेतु बजट में कितनी राशि रखी गई है।

उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर किसी एक समुदाय अथवा क्षेत्र/विषय हेतु राज्य बजट का अध्ययन किया जाए तो इससे प्राप्त परिणाम बजट में इन समुदायों अथवा क्षेत्रों/विषयों हेतु प्राथमिकताओं की सही तस्वीर उजागर कर सकते हैं।

राज्य बजट को व्यय के आधार पर अध्ययन किए जाने के अलावा प्राप्तियों के आधार पर भी देखा जा सकता है क्योंकि व्यय के समान आय भी राज्य बजट का एक बड़ा हिस्सा है जो कि आम आदमी से जुड़ा विषय है। राज्य बजट में अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष करों में किया जाने वाला परिवर्तन विभिन्न तौर पर आम आदमी को प्रभावित करता है। एक तरफ जहां अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव अमीर एवं गरीब, दोनों वर्गों को समान रुप से प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्ष करों में किया जाने वाला परिवर्तन करदाता को प्रभावित करता है। इसी तरह, यदि सरकार गैर कर राजस्व के रुप में अपनी प्राप्तियों को बढ़ाती है तो इससे शिक्षण/चिकित्सा आदि सेवाओं पर किए जाने वाले भुगतान से विभिन्न वर्गों पर अलग–अलग प्रभाव पड़ेगा।

इस प्रकार राज्य बजट के अध्ययन एवं विश्लेषण से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह जानने में सहायता मिल सकती है कि राज्य के जरुरतमंद जनसमूह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किये जा रहे सरकारी प्रयास किस हद तक राज्य कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सही साबित हुए हैं।

बजट पुस्तकों से वांछित जानकारी कैसे निकालें ?

बजट अध्ययन एवं विश्लेषण के अतिरिक्त बजट कोडिंग को समझने के बाद हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि बजट पुस्तकों से जो जानकारी हमें चाहिए वो कैसे निकालें। इस संबंध में बजट कोडिंग की सहायता से शीघ्र और सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रस्तुत अध्याय में उदाहरण के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि बजट पुस्तकों से वांछित जानकारी किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है।

उदाहरण : एक वित्तीय वर्ष के दौरान शहरी क्षेत्रों में आयुर्वेद चिकित्सालयों के भवन निर्माण के लिए राज्य बजट में कितना पैसा रखा गया है ? यह जानकारी बजट पुस्तकों की सहायता से प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है, इस संबंध में बजट पुस्तिकों का प्रारुप भी चित्र संख्या 21 में दर्शाया गया है।

- सर्वप्रथम, यह जानकारी होनी चाहिए कि उक्त सूचना किस बजट पुस्तक में मिल सकती है। इसके लिए सूचना से संबंधित विभाग–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य हेतु बजट पुस्तिका की सहायता लेनी होगी जो कि राजस्व व्यय–सामाजिक सेवाएं (खण्ड–2स) एवं पूंजीगत व्यय के लिए पूंजीगत परिव्यय (खण्ड–3अ), में दिया जाता है।
- आयुर्वेदिक चिकित्सालय हेतु सरकारी भवनों का निर्माण, राज्य में स्थाई सम्पत्तियों के निर्माण में शामिल किया जाता है जो सरकार के पूंजीगत व्यय में आता है। अतः यह जानकारी पूंजीगत परिव्यय (खण्ड–3अ) बजट पुस्तिका से प्राप्त की जा सकती है।
- उक्त बजट पुस्तक में चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु पूंजीगत बजट, मुख्य शीर्ष–4210 (चित्रानुसार) में दिया जाता है जिसका प्रथम अंक 4 है, यह पूंजीगत व्यय को दर्शाता है।
- सरकारी अस्पताल भवनों का निर्माण लोक निर्माण कार्यों के अन्तर्गत आता है अतः इसके लिए मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य, के अन्तर्गत उपमुख्य शीर्ष "01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं" दिया जाता है। इन सेवाओं में सभी शहरी स्वास्थ्य सेवाओं (एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी आदि) हेतु लोक निर्माण कार्य शामिल हैं जिनका योग उपमुख्य शीर्ष 01 में देखा जा सकता है।
- शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के उपमुख्य शीर्ष के अन्तर्गत अस्पताल एवं औषधालय हेतु बजट में तीन अंकीय लघु शीर्ष "110–अस्पताल एवं औषधालय" दिया जाता है। राज्य के सभी शहरी अस्पतालों एवं औषधालयों के निर्माण कार्यों हेतु कुल बजट योग लघु शीर्ष–110 के द्वारा देखा जा सकता है।
- उपरोक्त लघु शीर्ष में चिकित्सा की सभी पद्धतियों के अस्पताल एवं औषधालयों हेतु बजट दिया गया है जबकि आयुर्वेदिक अस्पतालों (औषधालयों सहित) के लिए इसमें छोटे कोष्ठक में दो अंकीय उपशीर्ष (01)–आयुर्वेदिक दिया गया है। इन आयुर्वेदिक अस्पतालों हेतु कुल बजट "योग (01)" में बताया गया है।
- आयुर्वेदिक अस्पतालों (औषधालयों सहित) के निर्माण कार्यों हेतु बजट बड़े कोष्ठक में दो अंकीय वर्ग शीर्ष "[90]–निर्माण कार्य" में दिया गया है। इन निर्माण कार्यों के भीतर बजट में वृहद निर्माण,

जिसमें भवन निर्माण शामिल है, हेतु राशि ईकाई शीर्ष “17—वृहद निर्माण कार्य” में दर्शाई गई है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2014—15 के लिए 2,44,25/— सहस्त्र रु. अर्थात 2 करोड़ 44 लाख 25 हजार रु. अनुमानित की गई है।

मुख्य शीर्ष **4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय**
(कैपिटल आउट से ऑन मेडिकल एण्ड पब्लिक हैल्थ)
विस्तृत लेखा

(रुपये करोड़ में)

लेखे 2012—2013			व्यय—व्ययक अनुमान 2013—2014			संशोधित अनुमान 2013—2014			लेखा शीर्ष	बजट अनुमान 2014—2015			
आयोजना भिन्न	आयोजना	केन्द्र प्रयर्तित तथा अन्य योजनाएं	आयोजना भिन्न	आयोजना	केन्द्र प्रयर्तित तथा अन्य योजनाएं	आयोजना भिन्न	आयोजना	केन्द्र प्रयर्तित तथा अन्य योजनाएं		आयोजना भिन्न	आयोजना	योग	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता
							उपमुख्य शीर्ष **लघु शीर्ष**		01—उत्तरी स्वास्थ्य सेवाएं 110—अस्पताल और औषधालय				
							उप शीर्ष		(01)—आयुर्वेदिक (इनमें फार्मेसी है				
							वर्ग शीर्ष		(90) निर्माण कार्य				
--	9,90	--	--	3.54	--	--	3,54	--	17—पहड़ निर्माण कार्य	--	2,44,25	2,44,25	--
							ईकाई शीर्ष		(91)स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2058)				
--	90	--	--	28	--	--	26	--	97—जोड़िये	--	19,54	19,54	--
									(92) औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)				
--	23	--	--	7	--	--	7	--	97—जोड़िये	--	4,85	4,85	--
									(93) सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)				
--	34	--	--	11	--	--	11	--	97—जोड़िये	--	7,35	7,35	--
--	**11,37**	--	--	**4.00**	--	--	**4,00**	--	**योग (01)**	--	**2,78,00**	**2,78,00**	--
									(02) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं उद्यम				
									(90) निर्माण कार्य				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	17—वृहद् निर्माण कार्य	--	1	1	--
--	17,29	--	--	3,54	--	--	3,54	--	28—विविध व्यय	--	--	--	--

चित्र संख्या 19 : बजट पुस्तिका में कोडिंग

6. पिछड़े एवं वंचित समूहों हेतु बजट

जैसा कि इस पुस्तक के प्रारम्भ में बताया गया है कि सरकार द्वारा राज्य बजट एक निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए आय–व्यय के प्रारुप में तैयार किया जाता है। इस बजट के माध्यम से सरकार राज्य की आय एवं खर्चों के बीच संतुलन बनाकर जनता के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं बनाती है एवं उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर राज्य के विकास का खाका तैयार करती है।

बजट के द्वारा समाज के पिछड़े वर्गों तक पहुंचने का प्रयास : बजट के माध्यम से सरकार समाज के पिछड़े वर्गों तक पहुंचने का प्रयास करती है ताकि उनमें व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर उनके विकास एवं कल्याण को बजट के माध्यम से उपर उठाया जा सके।

राज्य में गरीब एवं पिछडा वर्ग, जनसंख्या के उस समूह को माना गया है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने के साथ आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर हैं एवं इन लोगों को विकास एवं कल्याण की नितांत आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन लोगों को निःशुल्क एवं सस्ती दरों पर शिक्षा एवं चिकित्सा सेवाओं की जरुरत होती है। इस आधार पर बजट का विश्लेषण सैद्वान्तिक तौर पर न किया जाकर प्रायोगिक तौर पर किया जाता है।

बजट के अध्ययन एवं विश्लेषण संबंधित कार्यों में "अधिकार आधारित सोच" को अपनाया जाता है जिसमें समाज के पिछड़े एवं वंचित लोगों जैसे–दलित, आदिवासी, महिलाएं, बच्चे एवं निःशक्तजन आदि, पर विशेष जोर दिया जाता है। प्रस्तुत अध्याय में अधिकारों से वंचित इन जनसमूहों हेतु राज्य बजट में आवंटन को दर्शाया गया है जो कि निम्नानुसार है :–

दलित एवं आदिवासी बजट : सामाजिक एवं आर्थिक रुप से पिछड़े अनुसूचित जातियों को दलित नाम से एवं अनुसूचित जनजातियों को आदिवासी नाम से जाना जाता है। सरकार द्वारा राज्य बजट में दलितों एवं आदिवासियों हेतु विशेष प्रावधान किए जाते हैं।

सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े इन वर्गों के कल्याण हेतु भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा सभी मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को यह निर्देश जारी किये गये हैं कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपने योजना बजट में उतनी प्रतिशत राशि इन वर्गों के विकास के लिए आवंटित की जानी चाहिए जितना प्रतिशत इनका राज्य की जनसंख्या में पाया जाता है। इन योजनाओं को अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के नाम में जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में आदिवासी जनसंख्या 13.46 प्रतिशत है एवं दलित जनसंख्या 17.8 प्रतिशत है। इस प्रकार योजना आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य आयोजना बजट में आदिवासी लोगों के लिए अनसूचित जनजाति उपयोजना के तहत 13.46 प्रतिशत राशि एवं दलित जनसंख्या हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत राज्य आयोजना बजट में 17.8 प्रतिशत राशि रखी जानी चाहिए।

2017–18 से बजट के आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण की समाप्ति : उपयोजनाओं हेतु आवंटन का आधार समाप्त

जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि गत वर्ष केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में वर्ष 2017–18 से बजट के आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण को समाप्त करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुरुप राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा बजट का आयोजना एवं गैर आयोजना वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि राज्य एवं केन्द्र सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं में बजट आवंटन बनाये रखने की घोषणा की गयी है। लेकिन अब आयोजना एवं गैर आयोजना बजट की समाप्ति से उपयोजनाओं का आधार समाप्त हो गया है। ऐसे में हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना विशेष निधी कानून 2017 पारित किया है जिसके अंतर्गत दलितों एवं आदिवासियों हेतु विशेष बजट का प्रावधान किया गया है। अतः इसी तर्ज पर राज्य एवं केन्द्र सरकारों को भी उपयोजनाओं का क्रियांवयन सुनिश्चित करने हेतु कानून एवं नीति बनानी चाहिये।

बॉक्स संख्या 9

इसके अतिरिक्त इन योजनाओं के तहत कुछ विशेष प्रावधान भी किए गये हैं जैसे कि इन उपयोजनाओं के अन्तर्गत केवल वे ही योजनाएं शामिल की जाएंगी जिनके द्वारा इन जातियों को सीधे लाभ मिल सके, इन उपयोजनाओं के तहत आवंटित पैसा किसी अन्य योजना में स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा और ना ही इसे लैप्स किया जा सकेगा। इन उपयोजनाओं के तहत आवंटित की जाने वाली राशि बजट में अलग से मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष –अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु कोड 789 एवं जनजाति उपयोजना हेतु 796 कोड का उपयोग किया जाता है।

अतः सभी मुख्य शीर्षों के अंतर्गत इन दो लघु शीर्षों में आवंटित राशि को जोड़कर किसी राज्य में इन दोनों उपयोजनाओं को देय कुल राशि को निकाला जा सकता है। केन्द्र तथा राज्य सरकारें अब तक अपने बनाये इस नियम का पूरा पालन नहीं करती हैं, तथा इन उपयोजनाओं में आंवटन केन्द्रीय स्तर पर एवं देश के करीब सभी राज्यों में इन समुदायों के प्रतिशत से कम होता है।

अल्पसंख्यकों हेतु बजट : राज्य में धर्म आधारित अल्पसंख्यकों के लिहाज से मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्व, पारसी, जैन शामिल किए जाते हैं जिनमें जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान में करीब 11.41 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं, जिनमें से 9.07 प्रतिशत मुस्लिम, 0.14 प्रतिशत इसाई, 1.27 प्रतिशत सिख, 0.02 प्रतिशत बौद्ध तथा 0.91 प्रतिशत लोग जैन धर्म के अनुयायी हैं। पिछले दशक में राज्य में अल्पसंख्यकों की संख्या 1.43 प्रतिशत बढ़ी है।

पूर्व में किए गये अध्ययनों से प्राप्त परिणामों के आधार पर देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर पर तुलनात्मक रुप से पिछड़ा हुआ है। राज्य के पिछड़े अल्पसंख्यकों के विकास एवं कल्याण के लिए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाना आवश्यक है। इसके लिए सरकार द्वारा इनके विकास एवं कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। अल्पसंख्यकों हेतु चलाई जाने वाली योजनाओं हेतु दो प्रकार के सिद्धान्त अपनाए जाते हैं–प्रथम, ऐसी योजनाएं लागू करना

जिनसे सभी पिछड़े अल्पसंख्यकों को सीधे लाभ मिल सके। द्वितीय–क्षेत्रीय विकास आधारित सिद्धान्त, इसके अनुसार ऐसे अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों, ब्लॉक एवं शहरों की पहचान की जाती है जिनमें इस समुदाय के लोग पिछड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के विकास हेतु विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किए जाते हैं ताकि इनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

इस दिशा में राज्य का अल्पसंख्यक मामलात विभाग कार्य करता है जिसके माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं के संचालन के लिए राज्य बजट में अलग से राशि आवंटित की जाती है। अल्पसंख्यकों हेतु आवंटित बजट के आंकलन हेतु राज्य के अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं अन्य विभिन्न विभागों द्वारा अल्पसंख्यकों हेतु संचालित योजनाओं में बजट आवंटन एवं खर्च को जोड़कर एवं इसके विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है।

विशेष योग्यजन हेतु बजट : निःशक्तजनों के विकास एवं कल्याण के लिए तथा इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य बजट में विभिन्न योजनाओं हेतु बजट राशि आवंटित की जाती है। राज्य में सरकार द्वारा शारीरिक रुप से निःशक्तजन हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्यरुप से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कुछ योजनाएं अन्य विभागों (जैसे–शिक्षा) द्वारा भी संचालित की जाती है। अतः निःशक्तजनों हेतु आवंटित बजट के आंकलन हेतु राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं अन्य विभागों (जैसे–शिक्षा) द्वारा निःशक्तजनों हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं में बजट आवंटन एवं खर्च को जोड़कर एवं इसके विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है।

जेंडर बजट : राज्य में लैंगिक असमानताओं को कम करने तथा महिला समुदाय में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार द्वारा राज्य बजट में विशेष प्रावधान किए जाना आवश्यक है, जो कि जेंडर बजट के तौर पर किए जाते हैं। अतः जेंडर बजट, वह संकल्पना है जिसके द्वारा लैंगिक रुप से समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए बजट का आवंटन इस प्रकार किया जाए कि जेंडर असमानता में कमी लाई जा सके। जेंडर बजट, महिलाओं के लिए अलग से बजट अथवा पुरुषों के समान बजट की बात नहीं करता बल्कि यह राज्य बजट में महिलाओं हेतु प्राथमिकताओं का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में, जब भी राज्य बजट का जेंडर बजट की दृष्टि से विश्लेषण किया जाये हो तो निम्न सवालों का जवाब देखा जाना चाहिए :

- राज्य बजट में महिलाओं को क्या प्राथमिकताएं दी गई हैं अर्थात कुल बजट में कितना बजट महिलाओं के लिए रखा गया है ?
- महिलाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ वास्तविक रुप में इन्हें मिल पा रहा है या नहीं।
- महिलाओं हेतु चलाई जा रही योजनाएं किस हद तक लैंगिक असमानता को कम करने में सहायक रही हैं?

राजस्थान सरकार ने 2006–07 में पहली बार राजस्व विभाग सहित अपने 6 विभागों का जेण्डर बजट विश्लेषण किया जिसके पश्चात 2007–08 में भी 8 विभागों का जेण्डर बजट विश्लेषण किया गया। वर्ष 2009 में महिला एवं बाल विकास विभाग में जेण्डर बजट सेल की स्थापना की गयी तथा 2010 में मुख्य सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति बनाई गयी। अगस्त 2011 में जारी किये गये बजट सर्कुलर में

पहली बार जेण्डर बजट को लागू करने की बात की गयी। वर्ष 2012–13 के राज्य बजट में जेण्डर बजट विवरण जारी किया गया, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों को महिला लाभार्थीयों के प्रतिशत के अनुसार निम्न सारणी में दर्शायी गयी श्रेणियाँ प्रदान की गई।

राज्य के जेण्डर बजट विवरण में सरकारी कार्यक्रमों को दिये जाने वाली श्रेणियां:

सारणी संख्या 3 : जेण्डर बजट में कार्यक्रमों को श्रेणीयां

श्रेणी	महिला लाभार्थीयों का प्रतिशत
A	70% से अधिक
B	70-30%
C	30-10%
D	10% से कम

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार पर

परन्तु उपरोक्त सारणी में दर्शायी श्रेणियाँ कार्यक्रमों/योजनाओं को नहीं दे कर कार्यक्रमों/योजनाओं के गैर योजना, योजना तथा केंद्र प्रवर्तित योजना को अलग अलग दिया जाता है।

जेण्डर बजट विवरण की कुछ समस्याएं:

- जेण्डर बजट में सूचना ना तो मुख्य शीर्षवार दी गयी है ना ही विभागवार बल्कि बजट फाइनलिजेशन कमिटी (BFC) वार सूचना दी गयी है। सरकार के बाहर किसी को यह पता नहीं होता कि किस विभाग में कितनी BFCs हैं, इसलिए किसी विभाग के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।
- योजनाओं/कार्यक्रमों को कोई एक श्रेणी नहीं दी गयी है, अतः किसी योजना/कार्यक्रम के बारे में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।
- योजनाओं/कार्यक्रमों को श्रेणी लाभान्विन्तों में महिलाओं के अनुपात के आधार पर दिया गया है, परंतु विभागों के पास लिंग वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
- पिछले वर्ष के जेण्डर बजट की वास्तविक स्थिति का विवरण उपलब्ध नहीं होता है।
- यह स्पष्ट नहीं है कि किन मामलों में स्त्री एवं पुरूष लाभार्थियों के लिए आँकड़े उपलब्ध हैं तथा किन मामलों में यह अनुमान आधारित हैं।

संदर्भ सूची :

- बजट पुस्तिकाएं, राजस्थान सरकार
- बजट मैन्युअल, राजस्थान सरकार
- आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार
- एफ.आर.बी.एम. एक्ट, राजस्थान सरकार
- बजट शब्दावली, बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर
- बजट अध्ययनः एक परिचय, बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर
- राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति, बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर
- बजट पुस्तिकाएं, भारत सरकार
- www.indiabudget.nic.in
- www.finance.rajasthan.gov.in
- www.cbgaindia.org
- www.barcjaipur.org

बार्क के मुख्य प्रकाशनों की सूची

शीर्षक	Title in English	प्रकाशन वर्ष
जिला स्वास्थ्य प्रतिवेदन (बाड़मेर, भरतपुर, चित्तोड़गढ़, झुंझुनूं)	District Health Report (Barmer, Bharatpur, Chittorgarh, Jhunjhunu) (In Hindi)	2017
राजस्थान में स्वास्थ्य बजट एवं सेवाओं पर नीति प्रपत्र	Policy Brief on Health Budget and services in Rajasthan (In Hindi)	2017
राज्य में विशेषयोग्य जनों की सरकारी योजनाओं तक पहुंच : एक अध्ययन (अंग्रेजी में)	Study on Access of People with Disabilities to Government Schemes in the State: A study	2017
राजस्थान में जिला स्तर पर बजट पारदर्शिता (अंग्रेजी में)	Budget Transparency at the District Level in Rajasthan	2017
राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियांवयन का जिला एवं निम्न स्तर पर अध्ययन (अंग्रेजी में)	District Budget Tracking Study of Tribal Sub Plan and Scheduled Caste Sub Plan in Rajasthan	2017
राजस्थान में खनन एवं खान मजदूरों की स्थिति पर अध्ययन (अंग्रेजी में)	A Study on Status of Mining and Mine Workers in Rajasthan	जुलाई 2015
राजस्थान में जेण्डर संवेदी बजट की प्रक्रिया : एक अध्ययन (अंग्रेजी में)	Status of Gender Responsive Budgeting in Rajasthan	मार्च 2015
अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियांवयन का जिला एवं निम्न स्तर पर अध्ययन	A Study on Implementation of Schedule Cast sub Plan and Tribal Sub Plan at district and below level in the state (In Hindi)	मार्च 2014
जेण्डर संवेदी बजट प्रक्रिया एवं सीमांत महिलाएं : भारत, बांग्लादेश एवं नेपाल का एक अध्ययन (अंग्रेजी में)	Gender Responsive Budgeting Process and Marginalized Women: A Study in India, Bangladesh and Nepal	नवंबर 2014
अल्पसंख्यक समुदायों के लिये कल्याणकारी योजनायें	Welfare Schemes for Minority Communities (In Hindi)	मार्च 2014
राज्य में मुस्लिम परिवारों की सरकारी योजनाओं तक पहुंच : एक अध्ययन	Access of Muslim Families to Government Schemes in the State: A study (In Hindi)	फरवरी 2014
राजस्थान में जेण्डर संवेदी बजट : एक अध्ययन	Gender Responsive Budget in Rajasthan: A Study (In Hindi)	नवम्बर 2013
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः एक अध्ययन	Rashtriya Krishi Vikas Yojna: A Study (In Hindi)	नवम्बर 2013
पंचायत बजट मैन्युअल	Panchayat Budget Manual (In Hindi)	सितम्बर 2012
बजट को वंचित समुदायों की हकदारी से जोड़ने के प्रयास	Linking Budgets to the Concerns Weaker Sections (In Hindi)	2012
राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति	Rajasthan : A Study of State Finances (In Hindi)	फरवरी 2012
भारत में राज्य बजट में पारदर्शिता : मुख्य परिणाम	Transparency in State Budget in India: Summary fact sheet (in Hindi & English)	2011
भारत में राज्य बजट में पारदर्शिता : राजस्थान	Transparency in State Budget in India: Rajasthan (in Hindi & English)	2011
बजट अध्ययन : एक परिचय	Budget Study: An Introduction (In Hindi)	अगस्त 2010

बार्क के मुख्य प्रकाशनों की सूची

लुप्त होती लघुवन उपज : खतरे में आदिवासी आजीविका	Depleting Mining Forest Produce: Threat to Tribal Livelihood (In Hindi)	दिसम्बर 2009
दलितों के लिए राज्य की कल्याणकारी योजनाएं	State's Welfare Schemes for Dalits (In Hindi)	जून 2009
स्थानीय स्तर पर लिंग आधारित बजट (जैण्डर बजट) : कैसे करेंगे पैरवी?	Gender Budget at State Level: How to do Advocacy (In Hindi)	दिसम्बर 2006
बजट की तकनीकी शब्दावली	Budget Terminologies (in Hindi & English)	सितम्बर 2006
दलित एवं आदिवासियों के लिए बजट एवं योजनाएं	Budget and Schemes for Dailits and Tribals (In Hindi)	नवम्बर 2005

बार्क ट्रस्ट के प्रकाशन

शीर्षक	**Title in English**	प्रकाशन वर्ष
राजस्थान में बच्चों हेतु नीतियां एवं योजनाएं : भारत, बांग्लादेश एवं नेपाल का एक अध्ययन (अंग्रेजी में)	Policies and Programmes for Children in Rajasthan Trends and Prospects	मई, 2016
राजस्थान में पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत एवं इनसे करवाये जा सकने वाले कार्य	Major Sources of Panchayat's Income in Rajasthan and work that can be done with them (In Hindi)	अगस्त, 2016
उत्तराखंड में पंचायतीराज संस्था	Panchayati Raj Institutions in Uttarakhand : A Handbook (In Hindi)	2016

बार्क टीम	:	नेसार अहमद
	:	महेन्द्र सिंह राव
	:	भूपेन्द्र कौशिक
	:	बरखा माथुर
	:	मौलीश्री धस्माना
	:	अंकुश वर्मा
	:	भीम सिंह मीणा
सलाहकार	:	डॉ. जिनी श्रीवास्तव

"Budget Links Policy to People and People to Policy"

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)

फोन/फैक्स : (0141) 238 5254

ईमेल : info@barcjaipur.org

वेबसाईट : www.barcjaipur.org

Printed By : Ruchika Creation # 0141-4043430